यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited
(A Government of India Enterprise)

2011

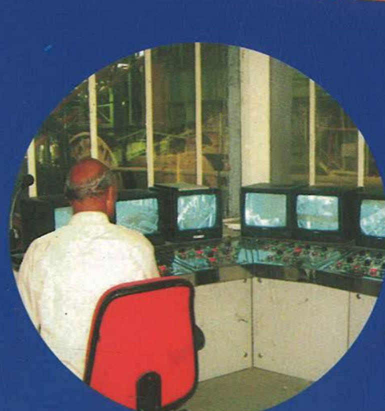

४४वां वार्षिक प्रतिवेदन - २०१०-२०११

44th Annual Report - 2010-2011

कम्पनी ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 एवं IS 18001 : 2007

An ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 & IS 18001 : 2007 Company

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

रजिस्टर्ड ऑफिस : जादुगोड़ा माइन्स, जिला – सिंहभूम (पूर्व)
झारखंड – 832102
दूरभाष : 0657–2730122 / 222 / 353
फैक्स : 0657–2730322
ई–मेल : cs@ucil.gov.in | uranium@ucil.gov.in
वेबसाईट : www.ucil.gov.in

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल	3
2.	कार्यकारी अधिकारीगण	4
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	5
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	8
5.	निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–**I**	16
6.	निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक परिशिष्ट – **II**	18
7.	**लेखा विश्लेषण**	
	(i) प्रमुख विशिष्टताएँ	20
	(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	21
	(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	22
8.	**बार तथा पाई चार्ट**	
	(i) आय का वर्गीकरण	24
	(ii) व्यय का वितरण	24
	(iii) आय में वृद्धि	25
	(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि	25
	(v) नियोजित पूँजी में वृद्धि	26
	(vi) सकल तथा शुद्ध परिसंपत्ति	26
9.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	27
10.	निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत की टिप्पणी	31
11.	31 मार्च, 2011 की स्थिति का तुलन–पत्र	32
12.	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का लेखा	33
13.	लेखे की 1 से 15 तक की अनुसूचियाँ	34
14.	31.03.2011 को समाप्त वर्ष में कैश फ्लो विवरण	58
15.	तुलन–पत्र का सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रूपरेखा	59
16.	पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार संग्रह	60

निदेशक मण्डल

श्री आर गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

श्री आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डॉ. ए. के. सिंह
(15.03.2010 तक)

श्री एस. के. चौधरी
(22.06.2011 से)

डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमणा

श्री वी. आर. सदाशिवम

श्री आर. एन. जयराज

श्री पी. बी. मैथानी
(04.11.2010 से)

डॉ. अमलेन्दु सिन्हा
(21.03.2011 से)

प्रो. तारकेश्वर कुमार
(21.03.2011 से)

डॉ. अंजन चाकी
(30.09.2010 तक)

श्री पी. वी. दुबे
कम्पनी सचिव
(31.12.2010 तक)

श्री बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव
(01.01.2011 से)

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस॰ गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखापाल
''तासी हाउस'', प्रथम तल 74/2ए
गोल्फ क्लब रोड, कोलकाता – 700 033

कार्यकारी अधिकारीगण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**श्री रमेन्द्र गुप्ता**
निदेशक (तकनीकी)	**श्री डी॰ आचार्या**
निदेशक (वित्त)	**श्री आर॰ पी॰ गुप्ता**
कार्यकारी निदेशक (परियोजना–पूर्वी एवं सी.सी.)	**श्री पिनाकी राय**
कार्यकारी निदेशक (परियोजना–दक्षिण)	**श्री एन॰ एम॰ बहल**
महाप्रबंधक (खान)	**श्री एस॰ सी॰ भौमिक**
महाप्रबंधक (तकनिकी सेवा)	**श्री एस॰ सिद्दिकी**
महाप्रबंधक (मिल)	**श्री एस॰ के॰ श्रीवास्तव**
महाप्रबंधक (सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्रशिक्षण)	**श्री जी॰ एस॰ घोष हाजरा**
महाप्रबंधक (विद्युत)	**श्री राजन प्रसाद**
महाप्रबंधक (तकनीकी सेवा एवं योजना)	**श्री अजय धड़े**
महाप्रबंधक (ओपेन पीट)	**श्री पी. एन. सरकार**
कम्पनी सचिव	**श्री बी. सी. गुप्ता**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

कम्पनी की 44वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2010–11 के लिए कम्पनी का अंकेक्षित लेखा विवरण तथा निदेशकों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ लिया गया मानता हूँ।

प्रिय सज्जनों, पिछले दशक के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि सर्वोत्कृष्ट रहा जो ऊर्जा स्रोत के व्यावसायिक इस्तेमाल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऊर्जा स्रोत की सभी विकल्प उपलब्ध विकल्पों में सुनिश्चित एवं स्वतंत्र ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब नाभिकीय शक्ति विशेष महत्व रखता है। भारत की तृतीय चरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम स्वदेशी उत्पन्न यूरेनियम एवं बड़े थोरियम स्रोत पर आधारित था। भारत में फिलहाल की गतिविधियों में विशिष्ट अर्न्तराष्ट्रीय नाभिकीय सहयोग से एवं ईंधन एवं रियेक्टरों के आयात होने से क्षमता को कई गुणा बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है जिससे स्वदेशी यूरेनियम एवं थोरियम स्रोतों से बिजली उत्पन्न करने का मार्ग सतत् प्रशस्त होगा। आपकी कम्पनी, 1967 में इसकी स्थापना समय से देश के नाभिकीय चक्र में शुरू से अंत तक नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम योजना के लिए ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने में योगदान कर रही है।

प्रिय सज्जनों, आपकी कम्पनी का वर्ष 2010–11 का श्रेष्ठ निष्पादन प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इस वर्ष शुद्ध लाभ में 119 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए U308 के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज किया है। आपकी कम्पनी के दो पुराने माइन्स जादुगोड़ा और भाटिन उत्पादन में लगातार योगदान दे रहे हैं। नरवापहाड़ और बागजाता खानों से उत्पादन में वृद्धि के साथ जादुगोड़ा संयंत्र की संसाधन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया। वर्ष के दौरान तुरामडीह खान की उपयोग क्षमता में सुधार दर्ज किया गया। वर्ष 2009 में चालू बांदुहुरांग ओपेनपीट खान के निष्पादन में भी लगातार सुधार हो रहा है। तथापि, बागजाता एवं बांदुहुरांग के आस–पास स्थानीय मुद्दों पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या चिंता का विषय है।

वर्ष के दौरान तुरामडीह में चालू किये गये नये संयंत्र का निष्पादन, 3000 टन प्रतिदिन अयस्क संसाधन क्षमता के साथ उत्कृष्ट रहा। 4500 टन प्रतिदिन अयस्क संसाधन क्षमता के विस्तारीकरण की योजना हेतु आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति प्रतीक्षित है। तथापि इस संयंत्र के विस्तारीकरण के लिए जनसुनवाई का कार्य इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था में बाधा पड़ने के कारण दो बार नहीं हुई। मोहुलडीह में खान विकास का कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2012 के दौरान चालू होने की आशा है। तुमलापल्ली में खान एवं मिल परियोजना का कार्य प्रगति पर है। संयंत्र चलाने हेतु परीक्षण अक्टूबर 2011 तक शुरू होने की आशा है। खान से उत्पादन शुरू हो गया है और पर्याप्त अयस्क संचालन सृष्ट किया गया है। परियोजना वर्ष जनवरी 2012 के दौरान पूर्ण रूप से चालू होने की आशा है। तुमलापल्ली खान एवं मिल परियोजना का विस्तारीकरण के लिए पूर्व–परियोजना कार्य प्रगति पर है और पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन मिल जाने की आशा है। आन्ध्रप्रदेश के लाम्बापुर में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आरम्भ किया जा चुका है लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा परियोजना के विरूद्ध होने के कारण संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपकी कम्पनी को के.पी.एम. परियोजना के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है। तथापि, परियोजना स्थल के आस–पास कल्याणकारी कार्यकलाप चल रही है, लोगों में सद्भावना उत्पन्न किया जा रहा है और क्षेत्र में यूरेनियम खनन के लिए सहमति बनाई जा रही है।

सज्जनों, आपकी कम्पनी न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त प्रक्रम बनाकर विदेशों में उपलब्ध यूरेनियम संपदा के अधिग्रहण के लिए कदम उठाया है और इस संबंध में बातचीत चल रही है।

वर्ष 2010–11 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार आपकी कम्पनी का निष्पादन दर "सर्वोत्कृष्ट" होने की आशा है। आपकी कम्पनी इसके संचालन के गुणवत्ता शक्ति, पर्यावरणीय जिम्मेदारी एवं सुरक्षा जागरूकता के प्रति प्रतिबद्ध है और वर्ष के दौरान कम्पनी में क्रमशः सभी तीनों प्रत्यापन ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 और ISO 18001:2007 लागू है। आपकी कम्पनी अपने प्रचालन क्षेत्रों के आस–पास विकास कर कारपोरेट सामाजिक दायित्वों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। झारखण्ड एवं ऑन्ध्रप्रदेश इकाइयों के आस–पास ढाँचागत विकास कार्य, स्थानीय बेरोजगार युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्थानीय व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को निःशुल्क शिक्षा आदि प्रदान करने के कारण व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। आपकी कम्पनी मेघालय में के.पी.एम. परियोजना स्थल पर भी कारपोरेट सामाजिक दायित्व को निभा रही है। नरवापहाड़ में ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र द्वारा बी.पी.एल कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कराई जा रही है एवं तुरामडीह में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र अच्छा चल रहा है और स्थानीय युवकों को रोजगार योग्य कुशल बना रहा है।

नरवापहाड़ में एक नया सूचना केन्द्र स्थापित किया गया है जिसमें आपके कम्पनी के विविध गतिविधियों को दर्शाया गया है साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न पहलूओं को भी दर्शाया गया है। केन्द्र में जनजातिय संस्कृति एवं हस्तकला का चित्रण किया गया जो यह बताता है कि कम्पनी आस–पास के क्षेत्रों के साथ गहरे रूप से संबद्ध हैं।

प्रिय सज्जनों, पिछले दशक के दौरान आपकी कम्पनी का विकास बहुत संतोषजनक रहा है। यह मेरे व्यावसायिक कैरियर के बहुत चुनौतीपूर्ण समय था जब नाभिकीय ईंधन के मांग एवं आपूर्ति की रिक्तता को सफलता पूर्वक पूरा करना था। प्रचालनरत इकाइयों में अयस्क भंडारों का समाप्त होना, भंडारों के समाप्त होने के कारण जादुगोड़ा खान की उत्पादन

क्षमता में तेजी से गिरावट और श्रमशक्ति का बढ़ती लागत आदि कुछ तत्कालिक कारक थे जिनसे निपटना था। उत्कृष्ट टीम कार्य एवं प.ऊ.वि. के सहयोग आदि से मुझे यूरेनियम उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा मिली और निम्न समय सीमा के अंदर ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई परियोजनाएँ खोली गई।

मेरी 11 वर्ष की लम्बी अवधि के दौरान गर्व एवं प्रसन्नता के साथ कुछ उपलब्धियों को बताना चाहूँगा जिसमें जादुगोड़ा खान में तृतीय चरण शाफ्ट को चालू करना, तुरामडीह खान को पुनः खोलना, बागजाता एवं बांदुहुरांग खान एवं तुरामडीह प्लांट को चालू करना, नरवापहाड़ खान में उत्पादन में वृद्धि करना एवं जादुगोड़ा प्लांट की क्षमता बढ़ाना आदि कुछ सफल सराहनीय कार्य किया गया जिससे कम समय में यूरेनियम उत्पादन में वृद्धि आदि है। इस दौरान आर एण्ड डी के प्रयास महत्वपूर्ण है जिसमें ऑन्ध्रप्रदेश में तुमलापल्ली खान से प्राप्त अयस्क से यूरेनियम की प्राप्ति करना। तुमलापल्ली खान एवं प्लांट, मोहुलडीह खान का चालू करना एवं तुरामडीह प्लांट का विस्तारीकरण जो प्रगति पर है जिससे आने वाले वर्षों में उत्पादन में कई गुणा वृद्धि होगी। इस अवधि में कुछ नई परियोजनाएँ शुरु की गई जिसमें तुमलापल्ली खान एवं प्लांट का विस्तारीकरण, कर्नाटक में गोगी खान एवं प्लांट का निर्माण, ऑन्ध्रप्रदेश के लाम्बापुर एवं मेघालय के के.पी.एम. आदि में कार्यों को पूरा करना है जिससे स्वदेशी ईंधन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

विदेशों से यूरेनियम प्राप्ति के लिए कार्रवाई शुरु की जा चुकी है जिसमें आपकी कम्पनी के वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ तकनीकी को अपना कर लाभान्वित होगी।

आपकी कम्पनी के वित्तीय निष्पादन को सुधारने के लिए प्रशासनिक कदम उठाये गये हैं जैसे कि सम्पत्ति नियंत्रण, श्रम शक्ति का सही स्वरूप, ऊर्जा बचत आदि कार्य स्वास्थ्य औद्योगिक संबंध जैसे कर्मचारी कल्याण योजनाएँ, सुदर्शित कारपोरेट नियम, आई.एस.ओ. का प्रत्यापन, भंडार क्रय वित्त में आई.टी. का लागू करना, कर्मचारियों के ज्ञान वृद्धि के लिए सुसज्जित प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाते हुए सूचना केन्द्र बड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सभागृह, विस्तृत स्वागत योग्य आर एण्ड आर नीति, आस–पास के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा संबंधी कार्यक्रम कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में आस–पास के क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम आदि पिछले दशक का मिल का पत्थर है जो आपकी कम्पनी को गौरवपूर्ण एवं प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रसन्नता की बात है।

चूँकि मैं आपकी कम्पनी से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद से सेवा निवृत होने वाला हूँ, मैं संतुलित तुलनपत्र, देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और संगठित कार्य बल जो कार्य के प्रति निष्ठावान है एवं उत्तरोत्तर योजना आदि कार्य कम्पनी के विकास को जारी रखेगा। भविष्य रोमांचक अवसरों से भरा हुआ है, मैं आपकी कम्पनी के आने वाले प्रबंधन को शुभकामनाएँ देता हूँ और कम्पनी के सभी कर्मचारियों, सहयोगियों, बोर्ड सदस्यों, प.ऊ.वि. एवं इसके अनुषंगिक इकाइयों विशेष रूप से बी.ए.आर.सी., ए.एम.डी., एन.एफ.सी. एवं एन.पी.सी.आइ.एल. एवं अन्य शुभचिंतकों को मेरे इस लम्बे आनंदायक यात्रा में उदारता पूर्वक सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष तौर पर कम्पनी बोर्ड से सेवा निवृत हो रहे सदस्यों का कार्यकाल एवं उसके बाद भी उनके सहयोग गंभीर प्रयासों एवं समर्पित प्रतिबद्धता एवं बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अब मैं कम्पनी का 31 मार्च, 2011 का तुलन पत्र तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ–हानि लेखा आपके विचारार्थ, अनुमोदन तथा अंगीकरण के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद,

आर॰ गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोलकाता
27 जुलाई, 2011

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारीगण,
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सज्जनों,

आपके निदेशकगण को कम्पनी का 31 मार्च, 2011 में समाप्त हुए वर्ष का 44वां वार्षिक विवरण परीक्षित लेखाओं तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

1.0 परिचालन विशिष्टताएँ :

1.1 वित्तीय निष्पादन :

	लाख रुपयों में	
	चालू वर्ष 2010–2011	विगत वर्ष 2009–2010
आय	76,025,11	54,305.55
मूल्यह्रास एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पूर्व लाभ	24,186,70	14,674.52
घटाया : (क) मूल्यह्रास	8,245.34	6,660.61
जोड़ा : (ख) पूर्व अवधि का समायोजन	115.20	(229.13)
कर के पूर्व लाभ	16,056.56	77,784.78
घटाया : (क) कर का प्रावधान	5,851.50	2,220.00
(ख) पूर्व के वर्षो के लिए	318.51	6.89
(ग) आस्थगित कर का प्रावधान	(266.01)	932.05
कर के पश्चात् लाभ	10,152.56	4,625.84
जोड़ा : विगत वर्ष से लाया गया	12,053.39	9,940.21
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	22,205.95	14,566.05
विनियोग		
साधारण रिजर्व	2,550.00	1,160.00
प्रस्तावित लाभांश	2,550.00	1,160.00
लाभांश पर कर	413.67	192.66
अधिशेष तुलनपत्र में लाया	16,692.28	12,053.39
कुल	22,205.95	14,566.05

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2010–11 के दौरान राजकोष में आयकर, बिक्रीकर, अन्य लाभकर, सुविधाकर, उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क, (आयात) स्वामित्व शुल्क के रूप में 7930.53 लाख रुपये का योगदान दिया।

1.2 परिचालन निष्पादन :

- **जादुगोड़ा खान**
1968 से कार्यरत 3 चरणों में गहराई तक प्रचालित जादुगोड़ा यूरेनियम खान देश की सबसे पुरानी एवं गहरी भूमिगत खान है। वर्ष के दौरान इसकी उपयोगीता (100 टीपीडी) मूलक्षमता का 57.94 प्रतिशत दर्ज किया गया। जादुगोड़ा खान का खनन पट्टा नवीनीकरण हेतु पर्यावरण स्वीकृति एम.ओ.इ.एफ. से प्राप्त हो गया है। पट्टा नवीनीकरण शीघ्र प्राप्त हो जायेगा।

- **भाटिन खान**
यह एक छोटी खान है जिसमें सीमित भंडार एवं आधारभूत संरचना है एवं इसकी उत्पादन क्षमता सीमित है। वर्ष के दौरान खान की मूल उपयोग क्षमता (250 टीपीडी) मुलक्षमता का 59.75 प्रतिशत दर्ज किया गया। खनन पट्टा नवीनीकरण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जनसुनवाई सफलता पूर्वक सम्पन्न हो चुका है। इसकी खनन पट्टा जादुगोड़ा खान के खनन पट्टा के साथ प्राप्त की जाएगी।

- **नरवापहाड़ खान**
नरवापहाड़ खान देश की अत्यधिक आधुनिकतम भूमिगत यूरेनियम खान है जिसमें डिक्लाइन प्रवेश एवं पटरी विहीन उपकरणों को अपनाया गया है। इसकी अयस्क उत्पादन क्षमता 1000 टन प्रतिदिन की है। वर्ष के दौरान इसकी उपयोग क्षमता 134.40 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसकी उत्पादन क्षमता को 1500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जा रहा है।

- **तुरामडीह खान**
तुरामडीह माइन्स को वर्ष 2003 में चालू किया गया। यह नरवापहाड़ के बाद दूसरी इस प्रकार की खान है जिसमें अत्याधिक आधुनिक भूमिगत खनन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। वर्ष के दौरान इसकी उत्पादन क्षमता 1000 टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जा रहा है। इसकी उपयोग क्षमता 122.02 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

- **बांदुहुरांग ओपेन कास्ट खान**
देश की पहली ओपेन कास्ट यूरेनियम खदान बांदुहुरांग में जनवरी 2009 में 3500 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के साथ चालु किया गया। इस खान से प्राप्त अयस्क को तुरामडीह संसाधन संयंत्र में संसाधित किया जाता है। इसके अयस्क में निम्न निक्षालन होने के कारण गहरे लेवेल से प्राप्त अयस्क के साथ मिश्रित किया जाता है। वर्ष के दौरान उपयोग क्षमता 80 प्रतिशत दर्ज किया गया।

- **बागजाता भूमिगत खान**
70 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के साथ वर्ष 2008 में चालू इस खान का निष्पादन संतोषजनक है और उत्पादन क्षमता में सुधार के साथ इसकी सम्भावित क्षमता 400 टन प्रतिदिन की है। वर्ष के दौरान खान की उपयोग क्षमता 88.86 प्रतिशत दर्ज किया गया है। बागजाता खान में उत्पादित अयस्क को जादुगोड़ा संसाधन संयंत्र में संसाधित किया जाता है। सुदुरवर्ती एवं अत्यंत प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण एवं प्रायः बंद रहने के कारण अयस्क की ढुलाई में बाधा उत्पन्न होती है।

- **जादुगोड़ा मिल**
इस मिल की क्षमता को 2090 टन प्रतिदिन करने का कार्य जनवरी 2010 को पूरा कर लिया गया। वर्ष के दौरान मिल की उपयोग क्षमता 95.6 प्रतिशत रही। जादुगोड़ा, भाटिन, नरवापहाड़ और बागजाता माइन्स से उत्पादित यूरेनियम खनिज का प्रसंस्करण जादुगोड़ा स्थित मिल में किया जाता है। एम.डी.यू. के जगह यूरेनियम पेरोक्साइड की उत्पादन की प्रक्रिया कार्यान्वयनाधीन है।

- **तुरामडीह मिल**
मार्च 2009 में चालू इस मिल में तुरामडीह और बांदुहुरांग ओपेन कास्ट माइन्स से उत्पादित 3000 टन प्रतिदिन खनिज की प्रसंस्कृत करने की क्षमता है। महत्त्वाकांक्षी विकास पथ पर कम्पनी की यात्रा में तुरामडीह की स्थापना एक विशिष्ट मील का पत्थर है। इस संयंत्र में एसिड लिचिंग रूट को अपनाया गया है और अनेक विकसित यंत्रों और आधुनिक नियंत्रण एवं मानिटरिंग सुविधाओं से लैस इस संयंत्र का प्रचालन चालू है। वर्ष के दौरान

संयंत्र की उपयोग क्षमता 90.11 प्रतिशत रहा।

- **उप–उत्पाद पृथक्करण संयंत्र**
  जादुगोड़ा उपोत्पादन पृथक्करण संयंत्र से उत्पादित मैगनेटाइट कम्पनी के वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में रिकार्ड योगदान देता है। इसकी उपयोग क्षमता 77.24 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

1.3 नई परियोजनाएँ तथा विस्तार की योजना

- **माहुलडीह भूमिगत खान**
  मोहुलडीह में स्थिति भूमिगत खदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। डिक्लाइन सेल्फ – सर्पोटिंग स्तर तक पहुँच गया है और अयस्क वॉडी 35 मीटर की गहराई पर मिला है। शॉफ्ट सिंकिग का कार्य भी शुरू किया गया है और परियोजना मार्च 2012 तक चालू होने की संभावना है।

- **तुमलापल्ली यूरेनियम परियोजना**
  इस खान परियोजना में 3000 टन प्रतिदिन अयस्क संसाधित करने का कार्य पूरा होने के करीब है और 2012 में शुरू होने की संभावना है। वर्ष के दौरान यह खान 1000 टन प्रतिदिन अयस्क उत्पादन प्राप्त कर लिया है। पर्याप्त अयस्क स्टॉकपिल का सृजन किया गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। संयंत्र के अधिकांश भाग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और क्रसिंग और ग्राइडिंग सेक्सन के लिए कोई भार जाँच नहीं किया गया है। कार्यस्थल पर बिजली और जल की सुविधा अब उपलब्ध करा दी गई है। प्रेसर लिचिंग टैंक की भी स्थापना की गई है और पाईपिंग कार्य चल रहा है। इस खान के विस्तारीकरण के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति का कार्य एवं अयस्क संसाधन संयंत्र में 1500 टन प्रतिदिन अतिरिक्त प्रसंस्करण का कार्य प्रगतिधीन है। संबंधित स्थानीय मुद्दों को बताया जा रहा है। जनसुनाई का कार्य शीघ्र होने की संभावना है।

- **गोगी यूरेनियम परियोजना, कर्नाटक**
  आपकी कम्पनी ए.एम.डी. के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्यस्थल पर लगातार खनन अन्वेषण कार्य कर रही है। पूर्व–परियोजना कार्यकलाप जैसे निविदा बनाने और बड़े कार्य पैकेज के मूल्यांकण का कार्य अंतिम चरण में है। कार्यस्थल पर जनसुनवाई का कार्य कर्नाटक राज्य प्रदुषण बोर्ड द्वारा सफलता पूर्वक सम्पन्न किया जा चुका है। अन्य कानूनी स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न सी.एस.आर. कार्यकलापों को भी कार्यन्वित किया जा रहा है। एम.ओ.इ.एफ. की स्वीकृति के पश्चात् कर्नाटक सरकार अपना अनुमोदन देगी।

- **लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना**
  लाम्बापुर यूरेनियम परियोजना के लिए आन्ध्रप्रदेश सरकार से खनन पट्टा का अनुमोदन और ए.पी.पी. सी.बी. से स्थापना हेतु स्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है।

- **केलेंग पेन्डेन्गसाहिंग माउथाबा परियोजना, मेघालय**
  आपकी कम्पनी माउथाबा मेघालय में केलेंग पेन्डेन्गसाहिंग परियोजना के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपकी कम्पनी स्थानीय लोगों से सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए जन–कल्याणकारी कार्य जैसे सड़क एवं पुलियों, स्वास्थ केन्द्र का निर्माण, सहायता के लिए शैक्षणिक केन्द्र एवं अन्य सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर रही है। नजदीकी गाँवों से परियोजना स्थल को जोड़ने के लिए 20 किलोमीटर सड़क एवं तीन पूलों का निर्माण कार्य किया गया है।

- **रोहिल यूरेनियम भंडार, राजस्थान**
  आपकी कम्पनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य करने के लिए ए.एम.डी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। खनन योजना को पूरा कर लिया गया है इस कार्य का आरम्भ परियोजना के लिए जल स्रोत सुनिश्चित होने के बाद ही किया जायेगा।

1.4 समझौता ज्ञापन निष्पादन

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2010–2011 में आपकी कम्पनी का निष्पादन कार्य "सर्वोत्कृष्ट" रेटिंग मिलने की आशा है।

2.0 लाभांश तथा रिजर्व में स्थानान्तरण :

आपके निदेशकगण को रु. 143961.78 लाख की प्रदत्त पूँजी पर अंशधारियों को 2550.00 लाख रुपया लाभांश देने की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह लाभांश विगत वर्ष रु. 1160.00 लाख था जो 134792.78 लाख की प्रदत्त पूँजी पर दिया गया था। इस वर्ष के लाभ से 2550.00 लाख रुपया को सामान्य आरक्षित राशि में स्थानान्तरित किया गया तथा वर्ष 2010–11 के लेखा में 413.67 लाख रुपये लाभांश पर कर के लिए प्रावधान किया गया है।

3.0 अंश पूँजी :

वर्ष के दौरान कम्पनी की अधिकृत अंशपूँजी 1500.00 करोड रूपये थी तथा 31.3.2011 को निर्गमित अंशपूँजी 1430.51 करोड़ रूपये है।

4.0 ऊर्जा संरक्षण / प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, नवोत्पाद तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1)(ई) (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिखाए गये विवरण) कम्पनी नियम 1988 के अनुसार पठित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्जन संबंधी विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I में दिखलाया गया है।

5.0 औद्योगिक सम्बंध

वर्ष के दौरान प्रतिवेदनावधि में औद्योगिक संबंध बहुत संतोषजनक रहा। तथापि फरवरी 2011 से बांदुहुरांग खान में कुछ गाँव वालों ने गैरकानूनी ढंग से कार्य में बाधा पहुँचाई जिसके बारे में जिला प्रशासन के सहयोग से बताया जा रहा है। कल्याणकारी कार्यों, पदोन्नति, प्रशासन, क्वॉटर आबंटन इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूसील प्रबंधन एवं यूनियन प्रतिनिधियों एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता होती रही। आपकी कम्पनी ने कम्पनी के अंशदायी निधि न्यास, गेच्यूटि निधि न्यास, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना, कर्मचारी प्रतिनिधि भागीदारी को सुनिश्चित किया गया।

6.0 जनशक्ति

31.03.2011 को आपकी कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4696 थी। कम्पनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 433 तथा 1757 है। दोनों मिलकर इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम्पनी की कुल जनशक्ति का 44.53 प्रतिशत है। 31.03.2011 को कम्पनी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 31 तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 09 थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शनों के आधार पर आरक्षित कोटा भरने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

आपकी कम्पनी सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध सभी स्तर पर रखती हैं। इसके अन्तर्गत शॉप परिषद की बैठक नियमित रूप से हुई। प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 के दौरान शॉप परिषद् की 23 बैठकें आयोजित की गई। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रैच्युटि निधि न्यास, मृत्यु लाभ योजना, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। वे सुरक्षा समिति, कैन्टीन प्रबंधन समिति तथा स्पोर्ट्स परिषद इत्यादि के भी सदस्य हैं। कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त परिषद् की बैठकें होती हैं।

8.0 कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के साथ पठित यथा संशोधित (कर्मचारियों का विवरण)

निदेशकों का प्रतिवेदन

नियम, 1975 के अनुसार उक्त नियम के तहत वर्ष 2010–11 के दौरान आपकी कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया गया।

9.0 मानव संसाधन का विकास एवं प्रशिक्षण

आपकी कम्पनी मानती है कि मानव संसाधन का विकास कम्पनी के विकास के साथ अभिन्न रूप से जड़ा हुआ है। इस वर्ष 2010–11 के दौरान 130 अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र, नरवापहाड़ में प्रशिक्षण दिया गया। 1551 कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 20 कर्मचारियों को प्रशिक्षु अधिनियम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। 111 कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों में समारोह, कार्यशालाओं में भाग लेने तथा प्रशिक्षण के लिए भेजा गया जिससे कि उनमें अधिक निपुणता तथा व्यावसायिक जानकारी में वृद्धि हो। 02 अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों तथा सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विदेशों में भेजा गया।

10.0 सुरक्षा

आपकी कम्पनी के पास सुपरिभाषित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है जो महाप्रबंधक (सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्रशिक्षण) के नियंत्रणाधीन है। खदान एवं प्रोसेसिंग प्लांट में विशेष रूप से सुरक्षा पर विशेष जोर देती है, ताकि दुर्घटना कम हो। सुरक्षा के मापदंड को समय–समय पर आंतरिक सुरक्षा संस्था द्वारा समीक्षा की जाती है जिससे कि दुर्घटना "शून्य" हो, दुर्भाग्यवश आपकी कम्पनी में वर्ष के दौरान विभिन्न इकाइयों में 2 घातक एवं 6 गंभीर दुर्घटनाएँ रिपोर्ट की गई। सुरक्षा सप्ताह का आयोजन आपकी कम्पनी की हर इकाई में आयोजित किया गया।

11.0 कर्मचारियों के कल्याण तथा सामाजिक सुविधाएं

आपकी कम्पनी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों एवं विकास के द्वारा आस–पास के गाँवों के लोगों के लिए कल्याणकारी एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। वर्ष 2010–11 के दौरान आपकी कम्पनी ने उनके स्वास्थ शिक्षा, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों के लिए ढांचागत आर्थिक मदद प्रदान की है, जिससे उनके बीच पर्याप्त सद्भावना उत्पन्न हुई है। इसके लिए कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है और उन्हें स्वपोषी कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया है और इसके लिए वार्षिक बजट में निधि का भी प्रावधान किया गया है। आपकी कम्पनी आस–पास के क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में स्वरोजगार प्रदान करने के लिए जन–शिक्षण संस्थान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक संगठन) के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

नरवापहाड़ में ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है जिसमें आस–पास के समुदाय के लोगों को वांछित सेवायें प्रदान की जा रही है। समय–समय पर आस–पास के गाँवों में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है और औषधियों का निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। तुरामडीह औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से पहला बैच तकनीशियनों का निकला है। जेवियर्स सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा आपकी कम्पनी के आस–पास प्रचालनरत इकाइयों के कल्याणकारी योजनाओं को बनाने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकताओं और आंकाक्षाओं को जानने में मदद मिली है।

आन्ध्रप्रदेश, तुमल्लापल्ली परियोजना के आस–पास के क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को

उच्च प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है। आपकी कम्पनी द्वारा सौर ऊर्जा द्वारा चालित प्रकाश की व्यवस्था आस–पास के गाँवों में की गई है। आस–पास के गाँवों में से उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को चयन किया जाता है। आस–पास के गाँवों में नियमित रूप से चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं जहाँ पर निःशुल्क औषधी भी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2010–11 के दौरान आपकी कम्पनी ने गोगी परियोजना के आस–पास कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गई है। परियोजना स्थल के आस–पास के लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर, पाइपलाइन के द्वारा पानी की आपूर्ति, प्रीयूनिवरसिटी के छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति आदि दिये जा रहे कार्यों को सराहा जा रहा है।

मेघालय के के.पी.एम. परियोजना क्षेत्र के आस–पास आपकी कम्पनी द्वारा लगातार कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है जिनमें सड़क निर्माण, विद्यालय एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का संचालन आदि शामिल है। एक 20 किलोमीटर सड़क जो वाखाजी एवं परियोजना क्षेत्र को जोड़ती है का निर्माण जिसमें कई पुलियों एवं तीन मुख्य पुल है, के साथ पूरा किया जा चुका है। इस कार्य से कम्पनी अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं जागरूकता को दर्शाया है एवं इससे वहाँ के स्थानीय लोगों में कम्पनी की ख्याति, कार्य के आरम्भ होने से पहले ही हो जाने की आशा है।

12.0 कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक–।। में दी गयी है।

13.0 सार्वजनिक जमा

वर्तमान समीक्षा के वर्ष कम्पनी ने किसी भी व्यक्ति से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।

14.0 पर्यावरण एवं वातावरण संरक्षण

आपकी कम्पनी ने अपनी इकाईयों के आस–पास पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा जादुगोड़ा, नरवापहाड़ और तुरामडीह में प्रचालन संयंत्र के आस–पास के क्षेत्रों में विकिरण स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वाह्यगामा रेडिएसन, रेडॉन सान्द्रता, वायु में अल्फा कणों की उपस्थिति और भूमि एवं भूमि के नीचे उपस्थित जल, खाद्य पदार्थों एवं मिट्टी आदि में रेडियम व यूरेनियम जैसे रेडियों न्यूक्लाइड्स की सान्द्रता का आकलन नियमित रूप से किया जाता है।

आपकी कम्पनी ने अपनी इकाईयों व रिहायशी क्षेत्रों स्वस्थ पर्यावरण तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण की स्थापना द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। आसपास के गाँव के लोगों को भी वृक्षारोपण के लिये उत्साहित करने के लिये निःशुल्क पौधे दिये जाते हैं।

15.0 आई॰ एस॰ ओ॰ प्रमाणीकरण

आपके निदेशकगण को आई.एस.ओ. 9001:2008 (गुणवत्त सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र) आई. एस.ओ.–14001:2004 तथा आई.एस. 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रमाण–पत्र) प्रमाणीकरण प्रदान किए गए हैं।

16.0 लघु उद्योग – धंधे

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने अपने आस–पास के क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए उनके उत्पादों का अधिकतम मात्रा में

निदेशकों का प्रतिवेदन

क्रय जारी रखते हुए मदद की है। इस कार्य से क्षेत्रीय लोगों में कम्पनी के प्रति सौहार्द बढ़ा है इसके अतिरिक्त स्वरोजगार भी बढ़ा है।

17.0 विदेश भ्रमण

इस वर्ष विदेश यात्रा पर 2.63 लाख रूपया खर्च हुआ जबकि विगत वर्ष 16.46 लाख रूपया खर्च हुआ था।

18.0 विज्ञापन एवं प्रचार

विगत वर्ष के रू॰ 242.25 लाख की तुलना में इस वर्ष विज्ञापन एवं प्रचार कार्य पर 266.22 लाख रूपया खर्च हुआ। यह खर्च नियुक्तियों एवं निविदा संबंधी सूचनाओं के प्रसारण पर किया गया।

19.0 अतिथिगृह पर खर्च

इस मद पर कुल (मूल्यह्रास, मरम्मत एवं अनुरक्षण सहित) 72.58 लाख रूपया खर्च हुए। पिछले वर्ष यह खर्च 54.28 लाख रूपये था।

20.0 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी ने राजभाषा अधिनियम, के अन्तर्गत बने प्रावधानों एवं नियमों को कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयास जारी रखा है। प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती है। कर्मचारियों को प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नकद पुरस्कार प्रदान किये गए। हिन्दी कार्यशाला समय–समय पर आयोजित की गई।

21.0 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा–परीक्षक की नियुक्ति प्रतीक्षित है।

22.0 सतर्कता

निवारक सर्तकता पर संगठन के नियमों एवं विनियमों के अनुसार कड़ाई से पालन हो, इस पर जोर दिया जाता है। सभी निविदा आमंत्रण सूचना को कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तथा समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। कम्पनी का सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन कार्य करता है और वह अध्यक्ष एक प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के 07 वरिष्ठ अधिकारी आकस्मिक जाँच करने तथा भंडार एवं अन्य कार्यों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किये गये हैं। वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग को समय–समय पर प्रतिवेदन/रिटर्न भेजे गये। कम्पनी में 25 अक्टूबर, 2010 से 1 नवम्बर 2010 तक सतर्कता सप्ताह मनाया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों का संस्थान में कड़ाई से पालन होता है।

23.0 निदेशकों की नियुक्ति

नाम	(नियुक्ति की तिथि)
श्री पी.बी.मैथानी, निदेशक ए.एम.डी	04.11.2010
प्रो. तारकेश्वर कुमार, निदेशक, आई.एस.एम. धनबाद	21.03.2011
डॉ. अमलेन्दु सिन्हा, निदेशक, सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद	21.03.2011
श्री एस.के.चौधरी, भा.प्र.सेवा, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार	22.06.2011

निदेशकों की सेवा समाप्ति

नाम	(समाप्ति की तिथि)
डॉ. अंजन चाकी, निदेशक, ए.एम.डी.	30.09.2010
डॉ. ए.के.सिंह, भा.प्र.सेवा, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार	15.03.2011

निदेशकगण डॉ. ए. के. सिंह और डॉ. अंजन चाकी के अमूल्य योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते है।

कम्पनी सचिव की नियुक्ति:

31.12.2010 को श्री पी.वी.दुबे, कम्पनी सचिव के सेवानिवृत्ती के बाद श्री बिपिन चन्द्र गुप्ता को वर्ष के दौरान कम्पनी सचिव नियुक्त किया गया।

24.0 भावी दृष्टिकोण

आपके निदेशकगण को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कम्पनी विकास मार्ग पर है और कई विस्तारीकरण योजनाएँ स्वरूप ले रही है। वर्ष 2009–10 के दौरान चालू नई इकाइयों में सुधारात्मक निष्पादन दर्ज किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान मोहुलडीह एवं तुमलापल्ली परियोजनाएँ चालू की गई। जिससे कि यूरेनियम के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी। चल रही तुमलापल्ली परियोजना का विस्तारीकरण एवं गोगी में खनन एवं मिलिंग परियोजना के निर्माण से आने वाले वर्षों में यूरेनियम की माँग एवं पूर्ति की रिक्तता को स्वदेशी यूरेनियम से पूरा किया जा सकेगा।

उपर्युक्त् सभी कार्यकलापों सहित, आपके निदेशक को विश्वास है कि आपकी कम्पनी देश के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत यूरेनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के ऑन लाइन विस्तार करने में सक्षम होगी।

25.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकगण बताते हैं कि–

(i) वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है।

(ii) आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा – नीतियों को अपनाया है जो साधारणतया स्वीकृत लेखा उद्देश्यों के लिए मान्य है। इसे संगतरूप से अपनाया गया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया गया है जो कि विवेकसंगत तथा न्यायपूर्ण है जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में लाभ हानि संबंधी सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) आपके निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की सुरक्षा एवं बचाव तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अभिलेख रखने में मुख्य रूप से पर्याप्त सावधानी रखी है।

(iv) आपके निदेशकों ने 'चालू संस्थान' के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

26.0 आभार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिश्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा झारखण्ड सरकार, ऑन्ध्रप्रदेश सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, कम्पनी मामलों के विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा अन्य मंत्रालयों नियंत्रक तथा भारत के महालेखा परीक्षक, कानूनी लेखा परीक्षकों, मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा परिषद–II कोलकाता तथा बैंकों तथा अन्य संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी से सम्बन्धित है से प्राप्त सुझाव एवं सहायता के लिए कृतज्ञ है।

अंत में, आपके निदेशकगण सभी कर्मचारियों द्वारा निष्ठा एवं समर्पण के भाव से किये गये कार्यों तथा कर्मचारी यूनियनों एवं अधिकारियों के संगठन द्वारा सहयोग प्रदान करने के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कोलकाता
27 जुलाई, 2011

आर॰ गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–I

कम्पनी नियम, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिया गया) विवरण

ए. ऊर्जा संरक्षण

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

1. डबल डेक स्क्रीन के स्थान पर डबल डेक स्क्रीन – जिससे की विशुद्ध अयस्क का संदेश प्रवाह में वृद्धि होगा।
2. एजिटेटर के साथ दो लिचिंग टैंक को चालू करना जिससे संपिडित वायु की आवश्यकता में कमी होगी।
3. संसाधित वहिःश्राव का इस्तेमाल – जिससे शुद्ध जल बैरेज में पम्प की चलने की घंटों की अवधि में कमी आयेगी।
4. 685 मिली. में ड्रिल जम्बों का इस्तेमाल।
5. विभिन्न भवनों में सी.एफ.एल. लैम्प/लैम्प फिक्सचर को लगाना।

(ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त विनियोग एवं प्रस्तावों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1. लिचिंग पाचुका को बदलने के लिए दो अतिरिक्त लिचिंग टैंक एजीटेटर सहित लगाया जाना जिससे कि संपिडित वायु की खपत में कमी आएगी।
2. कुलिंग टावर में ऊर्जा बचत को लगाना जिसमें कि तापमान सहित कुलिंग फैन का स्वचालित स्वीचिंग सुविध हो।
3. भी.भी.एफ.डी. के द्वारा ड्रम फिल्टर ड्राइव का संचालन जिससे इस्टतम गति के लिए ड्राइव के करेंट को कम किया जा सके।
4. जादुगोड़ा खान में दो 250 के.वी. वेन्टीलेशन फैन के लिए कैपिसिटर बैंक की स्थापना।

(ग) (क) तथा (ख) उपायों को अपनाये जाने का प्रभाव

उपर्युक्त (क) तथा (ख) उपायों को अपनाये जाने के बाद सम्बंधित क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कमी आयेगी।

विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

यह कम्पनी निर्यात व्यापार में संलग्न नहीं है तथापि कलपूर्जो एवं पूँजीगत सामानों के क्रय पर इस वर्ष 366.89 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया गया।

प्रपत्र – बी

अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी ग्रहण करने के सम्बंध में विवरण प्रपत्र।

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1. विशेष क्षेत्र जहाँ कम्पनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया।

क) भूमिगत में पुर्नभराइ के लिए मिल अपशिष्ट के साथ फ्लाई ऐश का इस्तेमाल।

ख) सिंहभूम के सभी प्रचालित खानों का स्टेपवाइज/लोडवाइज लिचिंग का अध्ययन।

ग) पर्यावरणीय दशाओं के तहत अलकली लिचिंग के संदर्भ में गोगी के प्रोसेस पैरामीटर का फाइन ट्यूनिंग के लिए यूरेनियम अयस्क का अध्ययन।

घ) एस.डी.यू. से यूरेनियम परॉक्साइड परिक्षेपण के लिए पैरामीटरों का इस्टतमीकरण।

ङ) संयंत्र में वहिःश्राव में पुर्नइस्तेमाल के लिए क्लोराइड सीमा को कम करना।

2. उपर्युक्त आर एण्ड डी के कार्यों के फलस्वरूप हुए लाभ

क) भूमिगत में फ्लाइ ऐश का इस्तेमाल से पर्यावरण के प्रति सम्बोधन का एक कदम होना।

ख) खनन करते समय लिचिंग क्षमता की तथ्यों के दिशा–निर्देशों को सीमित करना।

ग) एम.डी.यू. के स्थान पर जो कि एक उन्नत उत्पाद है, यूरेनियम पेरोक्साइड के परिक्षेपण का कार्यान्वयन।

घ) वहिःश्रावी जल का अधिकतम पुर्नइस्तेमाल।

3. **भविष्य की रूप रेखा**

क) भूमिगत में वाहन के लिए आदर्श यातायात नियमों का बनाया जाना एवं इसका कार्यान्वयन।

ख) कार्यस्थल पर वातावरण में सुधार के लिए इनोवेटिव भूमिगत यूरेनियम खान की अभिकल्पना।

ग) महुलडीह अयस्क के लिचिंग श्रेष्टतमीकरण के लिए विभिन्न प्रचालित लिचिंग अवस्थाओं एवं मानदण्डों का अध्ययन।

घ) आई.सी.पी.–ए.ई.एस. एवं डब्ल्यू.डी–एक्स. आर.एफ. का इस्तेमाल करते हुए यूरेनियम एवं अन्य तत्वों के विश्लेषण के लिए विश्लेषणात्मक प्रावधानों का अंतिम रूप देना।

4. **अनुसंधान एवं विकास पर खर्च**

(क)	पूँजी	रू॰ 9.38 लाख
(ख)	राजस्व	रू॰ 172.93 लाख
	कुल	रू॰ 182.31 लाख

5. **प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवीनीकरण**

कम्पनी ने वैश्विक तकनीकी को आत्मशात किया है और उसे आवश्यकतानुसार लागू कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है –

(क) तुमलापल्ली भूमिगत खान में डम्पर एवं कन्वेयर बेल्ट के द्वारा अयस्क ढुलाई का इस्टतमीकरण।

(ख) विकसित संचार एवं जानकार प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए पायलॉट आधार पर भूमिगत एसेट ट्रेकिंग का संप्रत्ययीकरण एवं योजना।

(ग) तुरामडीह मिल में सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को एस.एम.एस. रिपोटिंग आधारित शिफ्ट के बारे में नवीकृत प्रयोग।

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक परिशिष्ट – II

कॉरपोरेट अभिशासन

कम्पनी को विश्वास है कि उन्नत कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता, स्पष्टीकरण एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है। आपकी कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के अपने समस्त कार्यों में निष्कपटता एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत यूसिल एक सरकारी कम्पनी है। इसकी समस्त अभिदत्त पूँजी भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा इसके 3 शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास है। निदेशक मंडल में कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों का उचित समिश्रण है। 31.03.2011 को बोर्ड में 10 निदेशक है जिनमें (i) 3 पूर्ण कालीन कार्यरत निदेशक है यथा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) तथा (ii) 7 अंश कालिक गैर कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की बैठक नियमित अन्तराल पर होती है तथा यह कम्पनी के उचित निर्देशन एवं प्रबधन के प्रति उत्तरदायी है।

मार्च 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बोर्ड के निदेशकों की 4 बैठकें आयोजित की गई जो इस प्रकार है – 30.06.2010, 24.09.2010, 28.12.2010 तथा 29.03.2011। निदेशकों की संख्या उनकी, बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति एवं वार्षिक साधारण सभा तथा असाधारण बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी :–

31.03.2011 को नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		24.09.10 को हुई वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में निदेशकता
		कार्यकाल अवधि में हुई	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री आर. गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	हाँ	–
श्री डी. आचार्या, निदेशक (तकनीकी)	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	–	–
श्री आर. पी. गुप्ता, निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक निदेशक	04	04	–	–
गैर कार्यकारी निदेशक					
श्रीमती रेवती अय्यर, संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम) डी.ए.इ. (22.07.2010 तक)	अंशकालिक पदेन	01	शून्य	–	–
डॉ.सी.बी.एस. वेकेटरमणा, संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम) डी.ए.इ.	अंशकालिक पदेन	03	01	–	–
श्री वी. आर. सदाशिवम संयुक्त सचिव (वित्त), डी.ए.इ.	अंशकालिक पदेन	04	03	हाँ	04
श्री ए. के. सिंह, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार (15.03.2011 तक)	अंशकालिक पदेन	03	शून्य	–	–
श्री आर.एन. जयराज मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी.	अंशकालिक	04	02	–	01
डॉ. अंजन चाकी, निदेशक, ए.एम.डी.ई.आर. (30.09.2010 तक)	अंशकालिक	02	02	–	–
श्री पी.वी. मैथानी, निदेशक, ए.एम.डी.ई.आर. (04.11.2010 से)	अंशकालिक	01	01	–	–
श्री एम.एल. मजुमदार, निदेशक, सेवानिवृत भारत सरकार के सचिव (12.08.2010 तक)	अंशकालिक (गैर–सरकारी)	01	01	–	–
प्रो.एस.पी. मेहरोत्रा निदेशक, आई.आई.टी. कानपुर	अंशकालिक (गैर–सरकारी)	01	01	–	–
डॉ. अमलेन्दु सिन्हा, निदेशक, सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माईनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च (21.03.2011 से)	अंशकालिक (गैर–सरकारी)	01	01	–	–
प्रो. तारकेश्वर कुमार, निदेशक आई.एस.एम. (21.03.2011 से)	अंशकालिक (गैर–सरकारी)	01	शून्य	–	–

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा – 617 के अनुसार पूर्णकालिक के लिए कार्यरत निदेशकों का वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि यह भारत सरकार की कम्पनी है। अंशकालिक निदेशकों के लिए जो या तो सरकारी अधिकारी है अथवा सरकारी उपक्रम के अधिकारी होते हैं उन्हें बैठक में उपस्थित होने पर कोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाता है।

लेखा परीक्षण समिति

31.03.2011 के अनुसार लेखा परीक्षण समिति का गठन किया गया –

1. डॉ. अमलेन्दु सिन्हा, निदेशक (सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माईनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद) : अध्यक्ष
2. डॉ. सी.बी.एम. वेकेटरमणा, संयुक्त सचिव (आई. एण्ड एम. – डी.ए.इ., मुम्बई) : सदस्य
3. श्री आर.एन. जयराज (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन.एफ.सी., हैदराबाद) : सदस्य
4. श्री डी. आचार्या, निदेशक (तकनीकी) (यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) : सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई जो 30.06.2010, 24.09.2010, 28.12.2010 तथा 29.03.2011 को आयोजित की गई। समिति ने कम्पनी की वार्षिक प्रतिवेदन 2010–11 की समीक्षा की तथा इसके साथ ही आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा की।

पारिश्रमिक समिति

31.03.2011 के अनुसार पारिश्रमिक समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया –

1. डॉ. अमलेन्दु सिन्हा, निदेशक (सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माईनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद) : अध्यक्ष
2. श्री. पी. वी. मैथानी (निदेशक, ए.एम.डी.) : सदस्य
3. श्री डी. आचार्या, (निदेशक तकनीकी, यूसिल) : सदस्य
4. श्री आर.पी.गुप्ता, (निदेशक वित्त, यूसिल) : सदस्य

आचरण नियमावली :

कम्पनी के पास अपना आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है और इसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

साधारण बैठकें :

विगत 3 वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों / असाधारण बैठकों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2009–10 (एजीएम)	24.09.2010	13.00 बजे	हैदराबाद
2008–09 (एजीएम)	21.09.2009	13.00 बजे	जादुगोड़ा
2007–08 (एजीएम)	25.09.2008	13.00 बजे	डीएई गेस्ट हाऊस, नई दिल्ली

प्रमुख विशिष्टताएँ

अनुलग्नक–I

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2010–11	2009–10	2009–10 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
(क)	**परिचालन परिणाम**			
	टर्नओवर	**72,699.55**	52,159.09	20,540.45
	सकल आय	**76,025.11**	54,305.55	21,719.57
	सकल व्यय	**60,083.75**	46,291.64	13,792.11
	सकल लाभ	**15,941.35**	8,013.91	7,927.45
	कर पूर्व लाभ एवं पूर्व अवधि का समायोजन	**16,056.56**	7,784.78	8,271.78
	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	**10,152.56**	4,625.84	5,526.72
(ख)	**वर्ष के अन्त की वित्तीय स्थिति**			
	शेयर पूँजी	**143,961.78**	134,792.78	9,169.00
	आरक्षित एवं अधिशेष	**24,146.31**	16,957.43	7,188.88
	नियोजित पूंजी	**79,667.58**	85,918.65	(6,251.08)
	निवल मालियत	**168,108.09**	151,750.21	16,357.88
	सकल निरुद्ध परिसंपत्ति	**126,382.57**	123,149.63	3,232.94
	मूल्य – ह्रास	**49,131.23**	40,842.06	8,289.16
	शुद्ध निरुद्ध परिसंपत्ति	**77,251.34**	82,307.57	(5,056.23)
	सम्पत्ति सूची	**8,668.96**	6,907.39	1,761.56
(ग)	**लाभकारिता तथा अन्य अनुपात**			
	i) प्रतिशतता :			
	बिक्री में सकल लाभ / (हानि)	**21.93**	15.36	
	बिक्री में शुद्ध लाभ / (हानि)	**13.97**	8.87	
	निवल मालियत में सकल लाभ / (हानि)	**9.48**	5.28	
	निवल मालियत में शुद्ध लाभ / (हानि)	**6.04**	3.05	
	नियोजित पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	**20.01**	9.33	
	नियोजित पूंजी में शुद्ध लाभ / (हानि)	**12.74**	5.38	
	इकाई पूंजी में सकल लाभ / (हानि)	**11.07**	5.95	
	बिक्री में माल सूची	**11.92**	13.24	
	नियोजित पूंजी में बिक्री	**91.25**	60.71	
	ii) अनुपात :			
	चालू परिसम्पत्ति से चालू देयता	**1.05 : 1**	1.09 : 1	
	तत्काल परिसम्पत्ति से देयता	**0.86 : 1**	0.92 : 1	

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

अनुलग्नक–II

31 मार्च, 2011 तथा 2010 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2010–11	2009–10	2009–10 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
1.	**कम्पनी का स्वामित्व**			
	(क) अचल परिसम्पत्ति			
	सकल ब्लाक	**126,382.57**	1,23,149.63	3,232.94
	घटाया : मूल्यह्रास	**49,131.23**	40,842.06	8,289.16
	शुद्ध ब्लॉक	**77,251.34**	82,307.57	(5,056.23)
	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य / स्टॉक	**100,730.25**	64,815.61	35,914.64
	उप–योग (क)	**177,981.59**	147,123.18	30,858.42
	(ख) चालू परिसम्पत्तियाँ			
	i) व्यापाराधीन स्टॉक, भण्डार, प्रत्यक्ष माल फुटकर देनदारी, उपार्जित ब्याज	**13,511.05**	11,342.91	2,168.13
	ii) नकद या वस्तु के रूप में या वस्तु से प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	**8,417.91**	5,963.77	2,454.14
	iii) नगद तथा बैंक में जमा शेष राशि	**25,512.34**	25,377.65	134.69
	उप–योग (ख)	**47,441.30**	42,684.33	4,756.97
	योग – 1 (क + ख)	**225,422.90**	189,807.51	35,615.39
2.	**कम्पनी का ऋण**			
	(क) माल, सेवाओं, चालू देनदारियों तथा अन्य प्रावधानों के लिए	**45,025.07**	39,073.25	5,951.82
	(ख) **कम्पनी की शुद्ध मालियत**			
	अंश पूँजी	**143,961.78**	134,792.78	9,169.00
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	**24,146.31**	16,957.43	7,188.89
	उप–योग (ख)	**168,108.09**	151,750.21	16,357.89
	(ग) **आस्थगित कर दायित्व (ग)**	**7,522.65**	7,788.66	(266.01)
	योग 2 (क + ख + ग)	**220,655.81**	198,612.12	22,043.69

कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक–III

31 मार्च, 2011 एवं 2010 का संक्षिप्त लाभ–हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2010–11	2009–10	2009–10 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1.	**कम्पनी का आय**			
	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रों के अधिग्रहण से	**72,158.84**	51,844.78	20,314.07
	(ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	**496.02**	292.86	203.16
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	**2,372.00**	2,400.93	(28.93)
	उप–योग	**75,026.87**	54,538.57	20,488.29
	(घ) अन्तिम स्टॉक में वृद्धि/(ह्रास)	**998.24**	(233.02)	1,231.27
	योग (1)	**76,025.11**	54,305.55	21.719.56
2.	**कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था**			
	(क) उत्पादन एवं प्रशासनिक खर्चे	**51,215.67**	39,260.66	11,955.00
	(ख) अन्य खर्चे	**622.74**	370.37	252.39
	(ग) मूल्यह्रास	**8,245.34**	6,660.61	1,584.73
	योग (2)	**60,083.75**	46,291.64	13,792.11

कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक–III क्रमशः

31 मार्च, 2011 एवं 2010 को समाप्त दो वर्षों का संक्षिप्त लाभ–हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2010–11	2009–10	2009–10 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
3.	**समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1–2)**	**15,941.35**	8,013.01	7,927.45
4.	**जिसका समायोजन निम्नानुसार किया गया**			
	पूर्वकालिक समायोजन	**115.20**	(229.13)	344.33
	कर पूर्व लाभ	**16,056.56**	7,784.79	8,271.78
	घटाया : आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	**5,904.01**	3,158.95	2,745.07
	कर के बाद लाभ	**10,152.56**	4,625.84	5,526.72
	विगत वर्ष का लाया गया अधिशेष	**12,053.39**	9,940.21	2,113.18
	विनियोग के पूर्व अधिशेष (4 क)	**22,205.95**	14,566.05	7,639.89
	विनियोजन			
	प्रस्तावित सामान्य आरक्षित निधि	**2,550.00**	1,160.00	1,390.00
	प्रस्तावित लाभांश	**2,550.00**	1,160.00	1,390.00
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	**413.67**	192.66	221.01
	उप–योग (4 ख)	**5,513.67**	2,512.66	3,001.01
	अधिशेष को तुलनपत्र में ले जाया गया (4 क – 4 ख)	**16,692.28**	12,053.39	4,638.88

मूल्य रुपए में

आय का वर्गीकरण

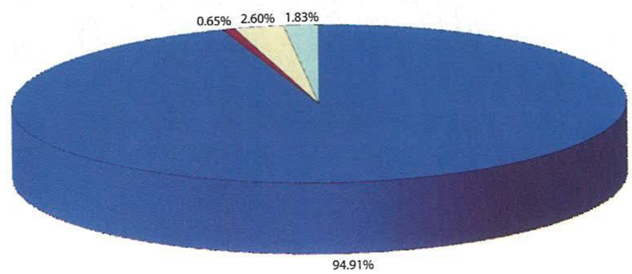

- $U_3 O_8$ की क्षतिपूर्ति रू. 721.59 करोड़ (94.92%)
- गौण–उत्पादों की विक्री रू. 4.96 करोड़ (0.65%)
- व्याज रू. 19.79 करोड़ (2.60%)
- अन्य आय रू. 13.91 करोड़ (1.83%)

व्यय का वितरण

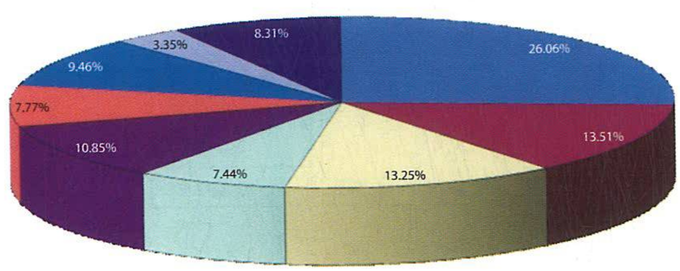

- कर्मचारियों का भुगतान 198.15 करोड़ (26.06%)
- मरम्मत एवं अनुरक्षण 102.71 करोड़ (13.51%)
- कच्चा माल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स 100.72 करोड़ (13.25%)
- ऊर्जा 56.57 करोड़ (7.44%)
- ह्रास 82.45 करोड़ (10.85%)
- अन्य व्यवसायिक देय 59.08 करोड़ (7.77%)
- कर उपरान्त लाभ 71.89 करोड़ (9.46%)
- लाभांश 25.50 करोड़ (3.35%)
- कर 63.18 करोड़ (8.31%)

आय में वृद्धि

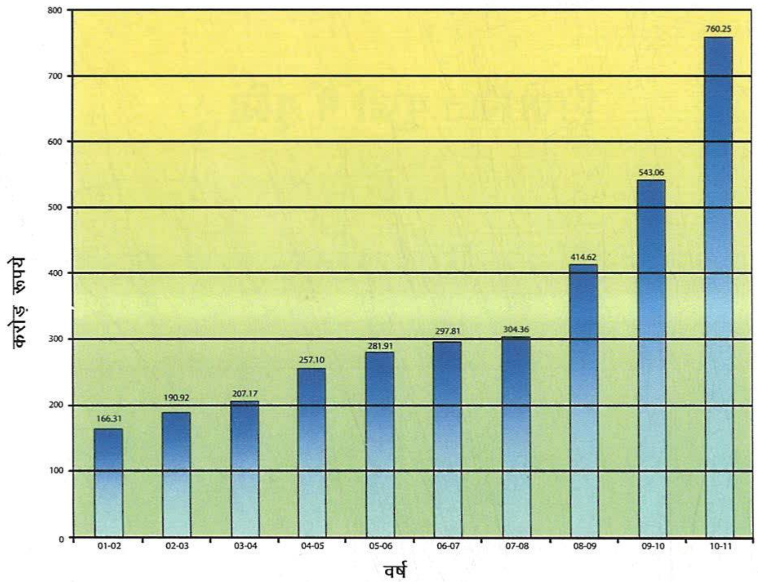

निवल मालियत (नेटवर्थ)

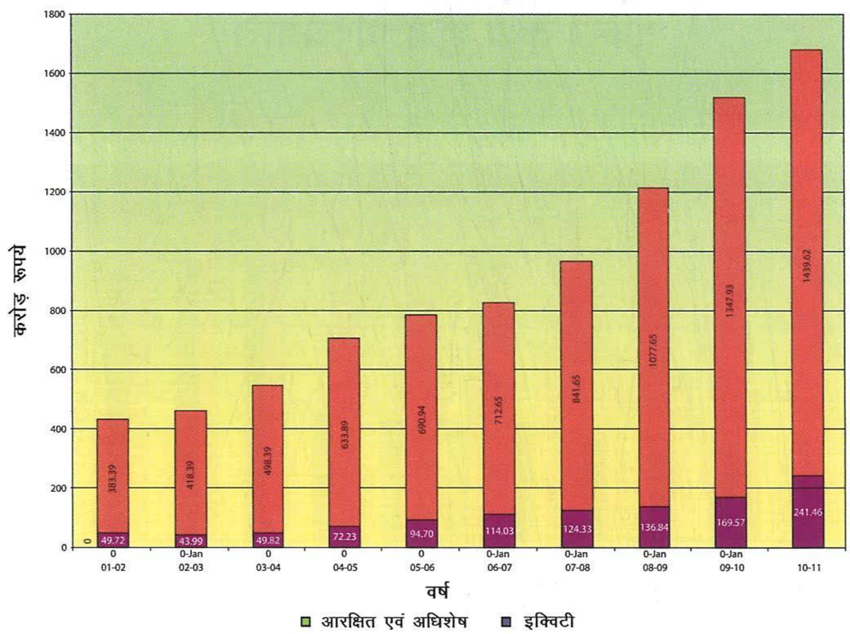

नियोजित पूंजी में वृद्धि

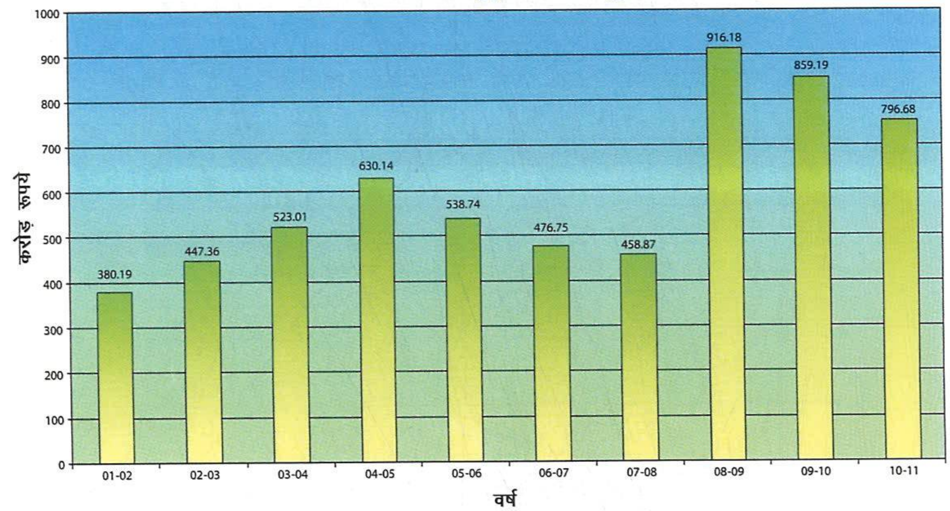

सकल तथा शुद्ध परिसंपत्ति

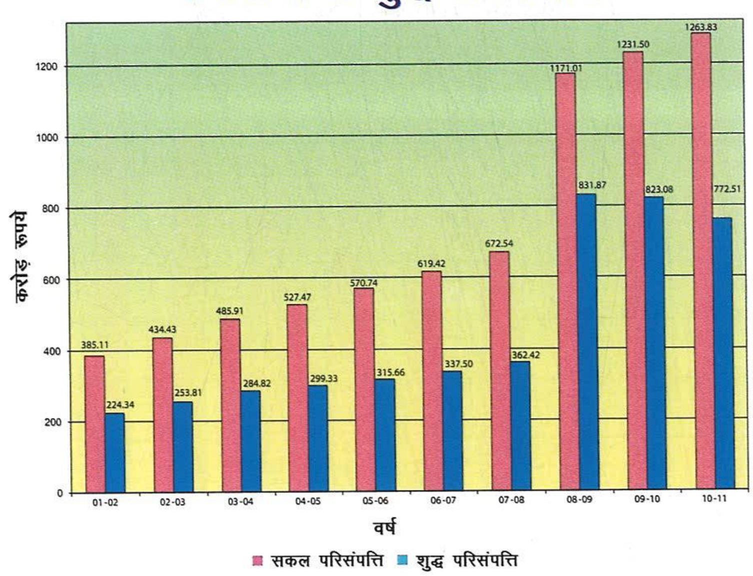

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण
जादुगोड़ा

1. हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 का संलग्न तुलन–पत्र कैश फ्लो विवरण तथा इसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि खाता का अंकेक्षण किया। इन वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन विवरणों का अंकेक्षण के आधार पर अपना अभिमत प्रकट करना है।

2. हमने लेखा परीक्षण भारत में अपनाई गई स्वीकृत मानक लेखा परीक्षण पद्धति के अनुसार किया है। इसके अनुसार इस प्रकार लेखा परीक्षण करना चाहिए जिससे कि हम न्यायपूर्वक विश्वास दिला सकें कि वित्तीय विवरणों में वस्तुओं के गलत विवरण को शामिल नहीं किया गया है। लेखा परीक्षण की जाँच परीक्षा की तरह किया जाता है जिसमें राशियों का समर्थन करते साक्ष्य तथा अनुलग्नक में उल्लेख रहता है। लेखा परीक्षण में लेखा उद्देश्यों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा विश्वसनीय अनुमान एवं प्रस्तुत किये गये सभी वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन रहता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखा परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्यायसंगत आधार प्रस्तुत करता है।

3. (क) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के आदेश के तहत (जैसा कि टिप्पणी–1 लेखा अनुसूची–15 में निर्देशित किया गया है) कम्पनी को निम्नलिखित विषय से संबंधित किसी प्रकार की सूचना को उद्घाटित करना निषिद्ध है।

    क) लाइसेंस क्षमता

    ख) संस्थापित क्षमता

    ग) वास्तविक उत्पादन

    घ) कच्चे माल का क्रय एवं उपार्जन

    ङ) उत्पादित वस्तुओं के प्रारंभिक एवं अन्तिम स्टॉक

    (क) तथा कम्पनी में कच्चे मालों का टर्नओवर तथा उपयोग का तुलनात्मक सूचना। तद्नुसार कम्पनी द्वारा उपयुक्त सूचनाएँ वित्तीय विवरण में नहीं दी गई।

   ख) तथापि इन सूचनाओं को सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया गया है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8 (12)/2004– पीएसयू/448 दिनांक 09 जुलाई 2004 के तहत इस शर्त के साथ दी गई है कि उपर्युक्त आँकड़े लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में नहीं दी जाएगी।

4. भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी आदेश 2003 (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) एवं कम्पनी द्वारा यथा संशोधित (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) संशोधन आदेश 2004 के आदेशों सहित में की गई अपेक्षा के अनुसार जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के उप धारा (4ए) में बताये गये विषय के अनुसार हैं। हम उपर्युक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में दिये गये विषयों पर विवरण संलग्न अनुलग्नक में कर रहे हैं।

5. **ऊपर पैरा 4 में उल्लखित संलग्नक में दिये हमारे मंतव्य के आगे हम सूचित करते हैं कि –**

   क) जादुगोड़ा मे भाटिन सहित 1312.62 एकड़ जमीन तथा माहुलडीह से 288.20 एकड़ जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना बाकी है। और 31.77 एकड़ जमीन तुरामडीह के लिए, 290.45 हेक्टैयर के.पी.एम. में और 1301.38 एकड़ लाम्बापुर में अतिरिक्त जमीन के लिए अधिकृत प्राधिकरण के साथ पत्राचार किया जा रहा है। (संदर्भ लेखा अनुसूची – 15 टिप्पणी 2 क)

   ख) राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख है का डीड ऑफ कनवेयन्स लंबित है। (संदर्भ टिप्पणी 2 ख) अनुसूची 15।

   ग) मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आई. सी.सी.) की 3 एकड़ जमीन के उपयोग का एग्रीमेन्ट नहीं किया गया जिसके कारण उन्हें कोई भी राशि नहीं दी गई। इसलिए इस भूमि के उपयोग के लिए लेखें में कोई प्रावधान नहीं किया गया (संदर्भ अनुसूची – 15 टिप्पणी संख्या 2 ग)

   घ) विभिन्न न्यायालयों में आकस्मिक देयताओं के पड़े विचाराधीन मामले के प्रावधान/निष्पत्ति का परिणाम उपलब्ध नहीं होने के कारण लेखा

में आकस्मिक देयताओं का कोई प्रावधान नहीं दिखलाया गया है। (संदर्भ अनुसूची – 15 टिप्पणी संख्या – 6)

ङ) यद्यपि बाकी पुष्टि के लिए विभिन्न पार्टियों को देनदारी, लेनदारी तथा अग्रिम के अंतर्गत पत्र निर्गत किए जा चुके हैं परन्तु सिर्फ कुछ लोगों ने ही इसका जवाब दिया है। यहाँ तक की इनका पुनर्मिलान नहीं हो सका।

च) कम्पनी भारत सरकार को बंद तुरामडीह प्रोजेक्ट की सम्पत्ति की उस सीमा तक के लिए 1110.60 लाख रूपये के शेयर जारी करेगी जैसा कि भारत सरकार ने जून, 2003 में निर्देश दिया गया था। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 8 बी अनुसूची – 15)

छ) बांदुहुरांग खान का अधिभार निराकरण के संबंध में कार्य आदेश के शर्तो के अनुसार कम्पनी के ठेकेदारों पर सेवा कर के रूप में 1252.49 लाख रूपये का दावा के बारे में न्यायाधिकरण का आदेश कम्पनी के खिलाफ होने पर कम्पनी की देयतायें बढ़ सकती हैं। इसे आकस्मिक देयता के अन्तर्गत दिखलाया जाना चाहिए। (संदर्भ संख्या 12 अनुसूची 15)

ज) कम्पनी द्वारा आरम्भ की गयी विभिन्न परियोजना में कुछ विलम्ब है। इस प्रकार की देरी लागत को बढ़ा सकती है जो अनिश्चित रहती है।

झ) 'कारपोरेट सामाजिक दायित्व' के तहत निदेशक मंडल ने कुछ खर्च 100 लाख रुपये अनुमोदित किया है जो वर्ष के अंत तक का कुल खर्च 182.66 लाख रुपये है, इस प्रकार 82. 66 लाख रुपये अत्यधिक खर्च बिना बोर्ड के अनुमोदन का है। यह बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. ऊपर पैरा 4 एवं 5 में बताये गये मंतव्यों के अनुसार जिसे लेखा टिप्पणी के साथ पढ़ा गया (अनुसूची – 15) हम आगे सूचित करते हैं कि –

क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएं उपलब्ध कराई गई हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखा खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातों की जाँच के दौरान देखनें को मिला।

ग) तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी में समावेश है लेखा–खाता के अनुसार है।

घ) हमारी राय में कम्पनी की तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 उपधारा (3 सी) में उल्लिखित एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड का पालन करते है।

ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) एवं विवरण के प्रावधान सरकारी कम्पनीयों पर लागू नहीं होता है।

(च) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार उक्त लेखा उसके साथ दी गई व्याख्या संख्या 15 तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 के द्वारा माँगी गई सूचनाओं को अपेक्षित रूप में उपलब्ध कराता है तथा भारत में स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक सच्ची एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है।

1) जहाँ तुलन पत्र का सम्बंध है, वह 31 मार्च, 2011 तक कम्पनी के मामलों से सम्बंधित है।

2) जहाँ तक लाभ–हानि लेखा के सम्बंध में है वह कम्पनी के लाभ इसी तारीख तक का है।

3) जहाँ तक कैश फ्लो विवरण के सम्बंध में है वह भी कम्पनी के इसी तारीख तक का है।

कृते **एस॰ गांगुली एण्ड एसोसिएट**
सनदी लेखा पाल
फर्म रजि. सं. 302192ई

डी॰ पी॰ साहा
साझेदार
सदस्यता संख्या 003935

स्थान – हैदराबाद
दिनांक – 28 जून, 2011

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को कम्पनी के लेखा पर हमारे सम दिनांक प्रतिवेदन के परिच्छेद 4 के अन्तर्गत लेखा परीक्षको के प्रतिवेदन का अनुलग्नक)

(1) (क) कम्पनी निश्चित परिसम्पत्तियों का विवरण इलेक्ट्रानिक रूप में चालू वर्ष में रख रही है। तथापि इसमें आगे और भी सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार विगत रिकार्ड को भी अद्यतन करने की जरूरत है। गत वर्ष टिप्पणी को नोट किया गया था परन्तु बहुत थोड़ा सुधार हुआ है।

(ख) कम्पनी की अपनी सभी परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच कराने का कार्यक्रम है जो हमारी राय तथा कम्पनी क आकार एवं सम्पत्तियों की प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत है। परिसम्पत्तियों की जाँच में कोई भिन्नता नहीं पाई गई।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने अचल परिसम्पत्तियों का किसी भी भाग को नहीं हटाया है। जिससे कम्पनी की चालू संस्थान की स्थिति प्रभावित नहीं होती है।

(2) (क) जैसा कि हमें बताया गया सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान बाहरी पेशेवरो से उचित अन्तराल पर की गयी।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं की जाँच की विधि कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत एवं पर्याप्त है। हालाँकि नये स्थान पर शुरू की गई परियोजना विशेष रूप से तुमलापल्ली में ज्यादा विस्तार एवं लगातार जाँच की जरूरत है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है। प्रत्यक्ष जाँच के दौरान पाई गई भिन्नता को लेखा बही में उचित रूप में ठीक कर लिया गया है।

(3) हमें दी गई व्याखाओं एवं सूचनाओं के अनुसार कम्पनी ने वैसे किसी कम्पनी फर्म या तीसरी पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है अथवा उनसे लिया है जिनका नाम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज है।

(4) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी को भण्डार, संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियों के क्रय तथा सामानों की बिक्री के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त है जो इस कम्पनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुकूल हैं। अपने अंकेक्षण के दौरान हमने आन्तरिक नियंत्रण की व्यवस्था में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखी। हालाँकि वर्क कान्ट्रेक्ट के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण को पुनः विचार की जरूरत है।

(5) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार, इस वर्ष में कोई लेनदेन नहीं हुआ जो अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की उप धारा 58ए तथा 58एए के अन्तर्गत तथा आर.वी.आई. द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कम्पनी ने सामान्य जन से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

(7) कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग है। कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण इसके आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया जाता है। हमारी राय में कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली इस वर्ष संतोषजनक था।

(8) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के अन्तर्गत कम्पनी को अपने उत्पादों का लागत अभिलेख रखने के लिए विनिहित किया है। हमने व्यापक रूप से उपर्युक्त अभिलेखों का परीक्षण किया तथा हम अपना मत व्यक्त करते है कि निर्धारित अभिलेख एवं लेखा

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक

सुव्यवस्थित रूप से रखे जाते है।

(9) (क) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों का परीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा कानूनी बकाया जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क सम्बंधित पदाधिकारी के पास जमा कराया जाता है। हमें बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा इस कम्पनी में प्रयोज्य नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार बिक्री कर की वह बकाया राशि जो विवाद के कारण जमा नहीं की गयी वह इस प्रकार है।

कानून की प्रकृति	बकाया को प्रकृति	राशि (रू॰)	वह मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है	वर्ष
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	21212768.00	निर्धारण प्राधिकारी	2002–03 से 2006–07

(10) वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी में कोई जमा हानि नहीं है। चालू एवं तुरंत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में नगद हानि नहीं हुई है।

(11) चालू वर्ष में कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को ऋण वापसी में कोई चूक नहीं की है और कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(12) हमारे द्वारा किये गये रिकार्डो की जाँच एवं हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई ऋण, और न पेशगी का अनुमोदन किया है चाहे वह शेयर की सुरक्षा के आधार पर हो अथवा डिबेंचर या प्रतिभूति के आधार पर।

(13) कम्पनी चिटफंड, निधि / म्युचुअल बेनिफिट फंड / सोसाइटी नहीं है।

(14) हमें दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी शेयर, सेक्युरिटी, डिबेंचर तथा अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती।

(15) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी दूसरे के द्वारा लिए गये ऋण पर कोई गांरटी नहीं दी है चाहे वह बैंक से ली गई हो या अन्य वित्तीय संस्थानों से।

(16) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने चालू वर्ष में कोई मियादी ऋण नहीं प्राप्त किया है।

(17) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने अल्प अवधि के लिए कोई निधि नहीं बनायी है जिसे लम्बी अवधि के लिए विनियोग किया गया हो।

(18) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्तमान वर्ष में किसी कम्पनी / पार्टी को शेयर का प्रिफरेंशियल अलाटमेन्ट नहीं किया है, जिनका नाम कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखी जाने वाली रजिस्टर में दर्ज होती है।

(19) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(20) कम्पनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यु के द्वारा कोई राशि एकत्र नहीं की है।

(21) हमारी जानकारी में तथा हमारे विश्वास एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं व्यख्याओं के अनुसार वर्तमान वर्ष में कम्पनी द्वारा / कम्पनी पर किसी प्रकार का धोखा न तो देखा गया या रिपोर्ट किया गया।

कृते **एस॰ गांगुली एण्ड एसोसिएट**
सनदी लेखा पाल
फर्म रजि. सं. 302192ई

डी॰ पी॰ साहा
साझेदार
सदस्यता संख्या 003935

स्थान – हैदराबाद
दिनांक – 28 जून, 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये वित्तीय रिर्पोटिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी प्रबंधन का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 227 के अन्तर्गत वित्तिय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यख्यातिम संस्थान के निर्धारित मानक के तहत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2011 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा पाकिग कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डो के आधार पर किया गया है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
नियंत्रक
ह॰/–

सौरव कुमार जयपुरियार
मुख्य निदेशक
मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–।।
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 14.07.2011

31 मार्च, 2011 की स्थिति का तुलन–पत्र

	अनुसूची संख्या	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
		रुपये	रुपये
I. निधियों के स्रोत			
1. अंशधारियों की निधियाँ			
(क) पूँजी	1	**14,39,61,78,000**	13,47,92,78,000
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	**2,41,46,30,903**	1,69,57,42,558
योग		**16,81,08,08,903**	15,17,50,20,558
2. सुरक्षित ऋण			
बैंक से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (फिक्सड डिपोजिट से)		**1,21,92,61,570**	99,125,084
3. आस्थगित कर दायित्व		**75,22,65,338**	77,88,66,369
योग		**18,78,23,35,811**	165,05,30,12,011
II. निधियों का उपयोग			
1. स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
(क) सकल निरुद्ध परिसम्पत्तियाँ	3	**12,63,82,56,898**	12,31,49,63,138
(ख) घटाया : मूल्यह्रास		**4,91,31,22,701**	4,08,42,06,321
(ग) शुद्ध ब्लाक		**7,72,51,34,197**	8,23,07,56,817
(घ) पूँजीगत प्रगतिधीन कार्य	4	**10,07,30,25,272**	6,48,15,60,983
(ङ) पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम		**74,25,52,954**	97,95,86,397
		18,54,07,12,423	15,69,19,04,197
2. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम			
(अ) चालू परिसम्पत्तियाँ	5		
(क) सम्पत्ति सूची		**86,68,95,095**	69,07,38,620
(ख) फुटकर देनदारियाँ		**30,60,79,070**	27,55,25,253
(ग) नगद एवं बैंक में जमा शेष		**2,55,12,34,491**	2,53,77,64,641
(घ) उपार्जित ब्याज		**17,81,30,495**	16,80,27,587
		3,90,23,39,151	3,67,20,56,101
(ब) ऋण एवं अग्रिम	6	**84,17,90,985**	59,63,76,835
घटाया : चालू देयतायें एवं प्रावधान	7	**4,74,41,30,136**	4,26,84,32,936
(क) चालू देयतायें		**3,60,62,81,723**	3,53,59,56,430
(ख) प्रावधान		**89,62,25,025**	37,13,68,692
		4,50,25,06,748	3,90,73,25,122
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ		**24,16,23,388**	36,11,07,814
योग		**18,78,23,35,811**	16,05,30,12,011
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	14		
लेखे पर की टिप्पणियाँ	15		

उपरोक्त उल्लिखित अनुसूचियाँ लेखे का एक अभिन्न भाग है।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है

कृते एस. गांगुली एवं एसोसियेट
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 302192ई

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदार
सदस्यता संख्या : (003935)

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 28 जून 2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का लेखा

	अनुसूची संख्या	2010–2011	2009–2010
		रुपये	रुपये
आय			
परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किये गये यूरेनियम सान्द्रों की क्षतिपूर्ति		721,58,84,469	518,44,77,567
गौण उत्पादों की बिक्री		5,40,70,261	314,31,765
उप–योग		726,99,54,730	521,59,09,332
घटाया : गौण उत्पाद पर सीमा शुल्क		44,67,827	21,45,269
		726,54,86,903	521,37,64,063
ब्याज	8	19,79,41,486	20,91,61,237
अन्य आय	9	3,92,58,440	3,09,31,357
		750,26,86,829	545,38,56,657
स्टॉक में (ह्रास)/वृद्धि	10	9,98,23,899	(23,30,188)
उप–योग		760,25,10,728	543,05,54,769
व्यय			
विनिर्माण एवं प्रशासनिक व्यय	11		
क) कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ		198,14,50,843	145,38,51,819
ख) बिजली एवं पानी		61,40,98,846	51,35,66,397
ग) उपभुक्त कच्चा माल		48,37,44,155	35,00,37,302
घ) भण्डार एवं उपभुक्त कलपूर्जे		52,34,25,522	39,93,60,770
ङ) रॉयल्टी		14,86,55,386	10,62,52,761
च) परिवहन व्यय		4,05,32,952	3,33,89,139
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण		102,71,09,210	79,59,61,317
ज) सुरक्षा पर व्यय		14,95,42,217	13,34,55,752
झ) नगर क्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं पर व्यय		5,93,28,546	5,60,94,435
ञ) विविध व्यय		9,36,79,305	8,40,96,397
उप–योग		512,15,66,882	392,60,66,089
अन्य व्यय	12	6,22,74,333	3,70,36,672
ह्रास		82,45,34,048	66,60,61,229
उप–योग		600,83,75,263	462,91,63,990
पूर्वकालिक समायोजन पूर्व लाभ		159,41,35,465	80,13,90,779
जोड़ा पूर्वकालिक समायोजन	13	1,15,20,090	(2,29,12,941)
कर पूर्व लाभ		160,56,55,555	77,84,77,838
घटाया : कर का प्रावधान			
वर्ष के लिए		58,51,50,000	22,20,00,000
पूर्व के वर्ष के लिए		3,18,50,866	6,88,480
आस्थगित कर		(266,01,031)	9,32,05,159
कर के पश्चात् लाभ		101,52,55,720	46,25,84,199
गत वर्ष से अग्रोनीत अधिशेष		120,53,39,305	99,40,21,256
विनियोग से पूर्व अधिशेष		222,05,95,025	145,66,05,455
विनियोग			
सामान्य आरक्षित निधि में प्रस्तावित स्थान्तरण		25,50,00,000	11,60,00,000
प्रस्तावित लाभांश		25,50,00,000	11,60,00,000
प्रस्तावित लाभांश पर कर		4,13,67,375	1,92,66,150
अधिशेष तुलन पत्र में ले जाया गया		166,92,27,650	120,53,39,305
प्रति शेयर आय – बेसिक (रुपया में)		73.94	40.71
प्रति शेयर आय – डायलूटेड (रुपया में)		72.42	40.71
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	14		
लेखे पर की टिप्पणियाँ	15		
उपरोक्त उल्लिखित अनुसूचियाँ लाभ–हानि का एक अभिन्न अंग है।			

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है

कृते एस. गांगुली एवं एसोसियेट
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 302192ई

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदार
सदस्यता संख्या : (003935)

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्य
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 28 जून 2011

अंश पूँजी

अनुसूची – 1

	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,50,00,000 साम्यिक अंश (गत वर्ष 1,50,00,000)	**1500,00,00,000**	1500,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
क) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,00,000 (गत वर्ष 1,00,000) साम्यिक अंश जिसका भुगतान 581/– रुपये तक नगद से भिन्न रूप में तथा 419/– रुपये नकद मूल्य लेकर किया गया।	**10,00,00,000**	10,00,00,000
ख) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,853/– (विगत वर्ष 1853/–) साम्यिक अंश का आबंटन से भिन्न प्रतिदाय के लिये पूर्ण प्रदत्त में किया गया।	**18,53,000**	18,53,000
ग) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,42,03,225/– (विगत वर्ष 1,24,32,625/–) साम्यिक अंश जिसका भुगतान नकद किया	**1420,32,25,000**	1243,24,25,000
	1430,50,78,000	1253,42,78,000
शेयर पूँजी आवंटन लंबित		
इक्वीटि पूँजी के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से प्राप्त	**9,11,00,000**	94,50,00,000
योग	**1439,61,78,000**	1347,92,78,000

आरक्षित एवं अधिशेष निधि

अनुसूची – 2

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	**रूपये**	रूपये
क) आरक्षित निधि			
1. पूँजीगत निधि		**2,11,158**	2,11,158
2. निवेश भत्ता उपयोग आरक्षित निधि		**1,90,71,000**	**1,90,71,000**
3. सामान्य आरक्षित निधि – प्रारम्भिक शेष	47,11,21,095		
जोड़ा : लाभ एवं हानि खाते से स्थानान्तरण	25,50,00,000	**72,61,21,095**	47,11,21,095
		74,54,03,253	49,04,03,253
ख) अधिशेष निधि			
लाभ–हानि खाते के अनुसार अधिशेष		**166,92,27,650**	120,53,39,305
योग		**241,46,30,903**	169,57,42,558

स्थायी

सकल ब्लॉक				
विवरण	01.04.2010 को	जोड़ा / समायोजन	विक्री / समायोजन	31.03.2011 को
1	2 रुपये	3 रुपये	4 रुपये	5 रुपये
लीज भूमि	72458144	–4401939		**68056205**
स्वतंत्र भूमि	348579445	–22699254		**325880191**
फैक्टरी भवन	1592383999	41767410		**1634151409**
अन्य भवन	929834978	42254856		**972089834**
संयंत्र एवं मशीनरी	6564502911	205415390		**6769918301**
विद्युत, प्रतिस्थापन	1249867041	44462853		**1294329894**
ओपेनकास्ट खान	1223527908	0		**1223527908**
फर्नीचर एवं साज–समान	48443474	7686750		**56130224**
उपकरण	74867218	1949924		**76817142**
वाहन	70650576	6857770		**77508346**
अमूर्त सम्पति (वन भूमि में उपयोग के लिए)	139847444	0		**139847444**
योग	12314963138	323293760	–	**12638256898**
गत वर्ष	11710131702	627877946	(23046510)	**12314963138**

टिप्पणी : 1. वर्ष के लिए रुपये 82,89,16,380 / – (विगत वर्ष रुपये 66,83,91,361 / –) मूल्यह्रासित कर आवंटित किया गया
i) लाभ हानि खाता में रु. 82,45,52,732 / – (गत वर्ष रुपया 66,60,61,229 / –)
ii) परियोजना पर अप्रत्यक्ष खर्च रु. 43,63,648 / – (गत वर्ष रु. 23,20,132 / –)

2. रु. 5,000 / – एवं उससे कम लागत की अचल परिसंपत्ति रुपए 20,71,119 / – (गत वर्ष रुपये 20,12,640 / –) को इस वर्ष पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित किया गया।
3. सड़क पुल एवं पुलियों सहित निर्माण में उच्च लेवेल पुल का निर्माण (जो कम्पनी की अपनी जमीन पर नहीं है) मैं 419.78 लाख (सकल राशि) विगत वर्ष 419.78 लाख रुपये खर्च किया गया।
4. भूमि में विकास सहित 553.24 एकड़ (विगत वर्ष 553.24 एकड़) रुपये लागत के 1398.47 एकड़ (विगत वर्ष 1398.47 लाख) वन भूमि भी शामिल है जो झारखण्ड सरकार से विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त किया गया है।

परिसंपत्तियाँ

अनुसूची – 3

मूल्यह्रास					शुद्ध ब्लॉक	
01.04.2010 को	इस वर्ष के लिए	बिक्री व समायोजन	गत वर्ष के लिए	31.03.2011 तक कुल प्रावधान	31.03.2011 को	31.03.2010 को
6 रुपये	7 रुपये	8 रुपये	9 रुपये	10 रुपये	11 रुपये	12 रुपये
30120449	4010829			34131278	**33924927**	42337695
4438347	426544			4864891	**321015300**	344141098
319510437	48238228		8,357	367757022	**1266394387**	1272873562
201312186	20361377			221673563	**750416271**	728522792
3051178919	620589276		10,327	3671778522	**3098139779**	3513323992
273907953	59509002			333416955	**960912939**	975959088
76470494	61176395			137646889	**1085881019**	1147057414
27452742	2900207			30352949	**25777275**	20990732
45329455	2059963			47389418	**29427724**	29537763
42235429	3791669			46027098	**31481248**	28415147
12249910	5834206			18084116	**121763328**	127597534
4084206321	828897696		18,684	4913122701	**7725134197**	8230756817
3391399691	668320312	(545,884)	25032202	4084206321	8230756817	8318732011

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

अनुसूची – 4

			31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
			रूपये	रूपये
1.	जादुगोड़ा खान तथा संयंत्र		**71,61,392**	7,06,96,644
2.	नरवापहाड़ खान		**17,51,300**	24,78,539
3.	तुरामडीह खान परियोजना		**9,65,10,244**	10,01,90,365
4.	बागजाता खान परियोजना		**59,25,09,482**	55,92,14,078
5.	तुरामडीह मिल परियोजना		**5,07,90,180**	2,89,53,575
6.	बांदुहुरांग खान परियोजना		**15,70,805**	–
7.	माहुलडीह खान परियोजना		**22,96,70,268**	10,36,31,521
8.	तुमल्लापल्ली परियोजना		**8,55,49,87,049**	519,77,49,732
9.	तुरामडीह खान विस्तारण परियोजना		**9,07,55,587**	5,16,58,131
10.	तुरामडीह खान विस्तारण परियोजना		**2,87,24,96,221**	21,72,67,019
11.	**परियोजना पूर्व के खर्चे**			
	क) लाम्बापुर परियोजना	**6,63,74,508**		5,28,07,657
	ख) के.पी.एम. परियोजना	**6,46,81,333**		6,12,22,734
	ग) तुमल्लापल्ली विस्तारण परियोजना	**64,26,213**		16,35,000
	घ) गोगी परियोजना	**92,82,857**		–
			14,67,64,911	11,56,65,391
12.	स्टाक में पूंजीगत सम्पत्ति जिसका प्रतिस्थापन/उपयोग अभी किया जाना बाकी है मार्गस्थ सहित जिसमें रु. 13,03,819/– (गत वर्ष रु. 1,79,47,085/–)		**1,80,57,833**	3,40,55,988
	योग		**1007,30,25,272**	648,15,60,983

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 5

(क) चालू परिसंपत्तियाँ

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
1. **माल सूची** (जैसा कि प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किये गये मूल्यांकन के अनुसार लिया गया है)			
अ) प्रत्यक्ष सामग्रियाँ		**4,32,68,813**	1,77,47,322
ब) भंडार एवं कलपूर्जे (शुद्ध पूँजीगत स्टॉक)			
i) भंडार एवं कलपूर्जे	**26,46,62,650**		26,02,07,533
ii) मार्गस्थ भंडार	**8,47,20,708**		3,64,41,373
	34,93,83,358		29,66,48,906
घटाया : अप्रयुक्त भंडार के लिए प्रावधान	**2,00,54,629**		1,81,31,262
		32,93,28,729	27,85,17,644
स) व्यापाराधीन स्टॉक			
i) अयस्क	**37,59,40,961**		23,17,66,187
ii) प्रक्रियाधीन कार्य	**10,28,38,377**		15,04,41,493
iii) उपोत्पाद	**13,59,277**		10,80,640
iv) रद्दी माल	**1,44,84,351**		1,15,10,747
	49,46,22,966		394,79,99,067
घटाया : प्रावधान (उपोत्पाद)	**3,25,413**		**3,25,413**
		49,42,97,553	39,44,73,645
योग (अ + ब + स) आगे ले जाया गया		**86,68,95,095**	69,07,38,620

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 5 (क्रमशः)

(क) चालू परिसंपत्तियाँ

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
लाया गया		86,68,95,095	69,07,38,620
2. विविध देनदारियाँ (अप्रतिभूत)			
1. छः महीने से अधिक			
i) वसूली योग्य समझा गया	–		–
ii) संदेहास्पद समझा गया	–		–
	–		–
2. अन्य ऋण (वसूली योग्य)	30,60,79,070		27,55,25,253
	30,60,79,070	30,60,79,070	27,55,25,253
3. नकद एवं बैंक में जमा शेष			
1. नकद जो पास है (अग्रदाय राशि एवं टिकट सहित) जैसा कि प्रमाणित किया गया है।	11,24,388		15,40,444
2. अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा शेष			
क) चालू खाता	2,88,62,662		1,93,06,805
ख) सावधि जमा खाता	252,12,47,441		251,69,17,392
		255,12,34,491	253,77,64,641
(ओडी/बीजी/एलसी हेतु 1,96,80,75,561/– रूपये को टीडीआर गिरवी रखा गया है)			
4. उपार्जित ब्याज		17,81,30,495	16,80,27,587
योग		390,23,39,151	367,20,56,101

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 6

(ख) ऋण एवं अग्रिम

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
1. **नगद या वस्तु के रूप में या वस्तु के लिए वसूली योग्य अग्रिम**			
क) **प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई**			
कर्मचारियों को दिया गया गृह–निर्माण अग्रिम		**8,88,19,788**	8,47,02,418
ख) **अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई**			
क) कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	**3,00,83,759**		2,62,65,165
ख) आपूर्तिकर्त्ताओं को दिया गया अग्रिम			
अ) वसूली योग्य समझा गया	**5,75,24,702**		2,99,60,741
ब) संदेहास्पद समझा गया	**2,33,491**		2,33,491
	5,77,58,193		3,01,94,232
घटाया : संदेहास्पद पेशगियों का प्रावधान किया गया	**2,33,491**		2,33,491
	5,75,24,702		2,99,60,741
ग) ठेकदारों, सरकारी विभागों इत्यादि को दिया गया अग्रिम	**4,51,55,906**		8,24,77,190
घ) कर की अग्रिम राशि	**48,41,90,006**		24,52,20,489
ङ) वसूली योग्य अन्य राशियाँ			
i) वसूली योग्य समझा गया	**12,00,54,224**		11,73,07,051
ii) संदोहास्पद समझा गया	**1,15,362**		8,14,771
	12,01,69,586		11,81,21,822
घटाया : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	**1,15,362**		8,14,771
	12,00,54,224		11,73,07,051
च) कर्मचारियों से वसूली योग्य अन्य राशियाँ	**54,67,533**		44,52,209
छ) पूर्व–प्रदत्त व्यय	**11,37,608**		9,80,124
उपयोग (ख)		**74,36,13,738**	50,66,62,969
आगे ले जाया गया (क + ख)		**83,24,33,526**	59,13,65,387

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची – 6 (क्रमशः)

(ख) ऋण एवं अग्रिम

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
लाया गया		83,24,33,526	59,13,65,387
3. जमा (अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गयी)			
क) सीमा शुल्क तथा पोर्ट आयुक्त	1,53,382		1,53,382
ख) सरकारी विभाग तथा अन्य	92,04,077		48,58,066
		93,57,459	50,11,448
योग		84,17,90,985	59,63,76,835

टिप्पणियाँ कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम में शामिल	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2010–2011 में बकाया अग्रिम की अधिकतम राशि	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2009–2010 में बकाया अग्रिम की अधिकतम राशि
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास बकाया अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

चालू देयताएँ एवं प्रावधान

अनुसूची – 7

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार
	रूपये	रूपये	रूपये
क) चालू देयताएँ			
1. विविध लेनदार			
क) एस.एस.आई उपक्रम	35,52,227		64,33,056
ख) अन्य	21,81,60,409		19,89,64,506
		22,17,12,636	20,53,97,562
2. ओवर ड्राफ्ट लेखा में		7,63,70,228	5,30,50,762
3. अन्य देयताएँ		330,81,98,859	327,75,08,106
		360,62,81,723	353,59,56,430
ख) प्रावधान			
1. कर के लिये	58,53,06,734		22,41,41,420
2. प्रस्तावित लाभांश	25,50,00,000		11,60,00,000
3. प्रस्तावित लाभांश पर कर	4,13,67,375		1,92,66,150
4. अन्य प्रावधान	1,45,50,916		1,19,61,122
		89,62,25,025	37,13,68,692
योग		450,25,06,748	390,73,25,122

ब्याज

अनुसूची – 8

	2010–11	2009–10
	रुपये	रुपये
1. बैंक में जमा राशि पर	18,89,23,138	20,06,96,944
2. अन्य	90,18,348	84,64,293
योग	19,79,41,486	20,91,61,237

अन्य प्राप्तियाँ

अनुसूची – 9

		2010–11	2009–10
		रुपये	रुपये
1.	अवशिष्ट सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राशि	**66,69,022**	40,21,558
2.	प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि की जप्ती से प्राप्त राशि	**1,71,961**	0
3.	उपकरणों तथा वाहनों का किराया	**3,72,878**	2,92,394
4.	आपूर्तिकर्त्ताओं से पैकिंग सुधार भाड़ा एवं दण्ड आदि की वसूली	**11,14,503**	29,57,227
5.	वास्तविक सत्यापन के समय पाये गये अतिरिक्त भंडार	**4,131**	6,522
6.	आवेदन शुल्क	**70,113**	2,47,320
7.	निविदा प्रपत्रों की बिक्री	**15,75,861**	11,93,065
8.	बीमा के दावों के निपटारे की राशि	**1,20,936**	1,34,284
9.	देयताएँ एवं प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रही		
	अन्य	**6,35,026**	6,49,498
10.	आवासीय प्राप्तियाँ	**2,23,67,810**	2,01,84,626
11.	विविध	**61,56,199**	12,44,863
	योग	**3,92,58,440**	3,09,31,357

अयस्क, उपोत्पाद, प्रक्रियाधीन कार्य तथा स्क्रैप के भंडार में वृद्धि/(कमी)

अनुसूची – 10

	2010–11	2009–10
	रुपये	रुपये
प्रारम्भिक शेष		
अयस्क	23,17,66,187	28,56,68,770
गौण–उत्पाद	10,80,640	5,41,872
प्रक्रियाधीन कार्य	15,04,41,493	11,84,31,897
स्क्रैप	1,15,10,747	1,34,58,416
	39,47,99,067	41,81,00,955
अंतिम शेष :		
अयस्क	37,59,40,961	23,17,66,187
गौण–उत्पाद	13,59,277	10,80,640
प्रक्रियाधीन कार्य	10,28,38,377	15,04,41,493
स्क्रैप	1,44,84,351	1,15,10,747
	49,46,22,966	39,47,99,067
भण्डार में पूर्ण वृद्धि/(कमी)	**9,98,23,899**	(2,33,01,888)

उत्पादन तथा प्रशासनिक खर्चें

अनुसूची – 11

		2010–11	2009–10
		रुपये	रुपये
1.	वेतन तथा मजदूरी	**148,00,33,137**	128,09,25,938
2.	भविष्य निधि में अंशदान	**16,60,48,309**	9,55,06,056
3.	उपदान निधि में अंशदान	**28,00,45,235**	1,92,91,849
4.	कल्याण निधि में अंशदान	**99,245**	97,712
5.	सेवानिवृति कोषण में अंशदान	**1,10,92,570**	96,82,493
6.	छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय	**2,19,51,501**	2,13,55,527
7.	कर्मचारियों के कल्याणार्थ व्यय	**2,21,80,846**	2,69,92,244
8.	बिजली	**56,57,01,023**	47,52,82,183
9.	पानी	**4,83,97,823**	3,82,84,214
10.	प्रत्यक्ष सामग्रियाँ उपभुक्त	**48,37,44,155**	35,00,37,302
11.	भंडार एवं उपभुक्त कलपूर्जे	**52,34,25,522**	39,93,60,770
12.	स्वामित्व शुल्क	**14,86,55,386**	10,62,52,761
13.	अयस्क की ढुलाई पर व्यय	**4,05,32,852**	3,33,89,139
14.	मरम्मत एवं अनुरक्षण		
	क) संयंत्र एवं मशीनरी	**61,67,52,099**	52,00,61,920
	ख) भवन	**2,70,00,226**	2,14,78,246
	ग) वाहन	**1,53,91,318**	68,45,462
	घ) अन्य	**36,79,65,567**	24,75,75,689
15.	सुरक्षा बल पर व्यय	**14,95,42,217**	13,34,55,752
16.	बीमा प्रभार	**15,47,682**	13,23,357
17.	शुल्क तथा कर	**64,75,117**	28,35,055
18.	नगर क्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं पर व्यय	**5,93,28,546**	5,60,94,435
19.	यात्रा व्यय	**1,01,54,397**	1,01,56,051
20.	टेलीफोन–प्रभार	**36,94,161**	30,78,320
21.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**30,20,942**	15,28,314
22.	तार एवं डाक–व्यय	**9,82,554**	6,60,206
23.	विधि विषयक व्यय	**11,81,266**	8,44,215
24.	बैंक प्रभार	**1,50,011**	1,69,327
25.	विज्ञापनों पर व्यय	**1,26,09,392**	2,11,01,237
26.	अन्य विविध व्यय	**5,38,63,783**	4,24,00,315
	योग	**512,15,66,882**	392,60,66,089

टिप्पणी : क) वेतन तथा मजदूरी सहित अन्य लाभ 2,38,14,278 / – रुपये (गत वर्ष 1,63,24,173 / – रुपये) में जल की लागत से संबंधित वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य लाभ में सम्मिलित नहीं है।

ख) कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवा निवृति के लिए वेतन एवं मजदूरी को मिलाकर रु. 0.00 / – (विगत वर्ष रु. 24,91,995 / –)

ग) मरम्मत एवं अनुरक्षण में उपयुक्त भंडार के 24,17,66,665 / – रुपये सम्मिलित है (गत वर्ष 19,93,70,305 / – रुपये) तथा कलपूर्जे के 38,65,69,485 / – रुपये (गत वर्ष के 32,06,91,615 / – रुपये) कुल 62,83,36,150 / – रुपये (गत वर्ष 50,00,61,920 / – रुपये) जिसे "भंडार एवं कलपूर्जे" में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्य व्यय

अनुसूची – 12

	2010–11		2009–10	
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
बिक्री कर		20,31,383		12,04,044
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
क) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2,20,000		2,20,000	
ख) कर के लिए लेखा परीक्षा शुल्क	50,000		50,000	
ग) पॉकेट खर्च	50,000		50,000	
		3,20,000		3,20,000
आंतरिक अंकेक्षण शुल्क		7,08,332		5,11,359
वैट अंकेक्षण शुल्क		30,000		30,000
भाड़ा एवं हैंडलिंग प्रभार		81,98,201		45,87,680
अप्रयुक्त भंडार जिसे बट्टे खाते में डाला गया		41,457		22,433
अप्रयुक्त भंडार का प्रावधान		19,23,367		27,68,079
दान		1,00,000		–
कारपोरेट का सामाजिक दायित्व व्यय		1,82,65,819		1,35,56,515
ऑर्बिट्रेशन एवार्ड व्यय		1,76,797		1,76,797
स्क्रैप की बिक्री पर व्यय		1,87,294		1,29,271
ब्याज भुगतान किया गया		3,02,91,683		1,37,30,494
योग		6,22,74,333		37,00,36,672

पूर्वकालिक समायोजन

अनुसूची – 13

	2010–11	2009–10
	रुपये	रुपये
व्यय		
वेतन	–	1,16,79,328
भंडार एवं उपयुक्त कलपूर्जे	(1,14,35,505)	–
मूल्यह्रास	18,684	2,50,32,202
उप–योग (क)	(1,14,16,821)	3,67,11,530
आय		
भंडर एवं कलपूर्जे	38,893	–
अन्य	64,376	1,37,98,589
उप–योग (ख)	103,269	1,37,98,589
योग (ख – क)	11,520,090	(2,29,12,941)

नगर क्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं

(जैसा कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार, के दिनांक 5 मार्च, 1969 के

विवरण	नगर क्षेत्र	विद्यालय शैक्षणिक सुविधाएँ	चिकित्सा सुविधा
	रुपये	रुपये	रुपये
वेतन तथा मजदूरी	40285061	77583960	19849303
भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान	5522396	2621601	2505127
उपदान निधि में अंशदान	10988943	775511	4348804
उपयोगिता	75986527	126879	810216
भंडार एवं कलपूर्जे का उपयोग	113163	147034	9717889
मरम्मत एवं अनुरक्षण	11834009	274231	723497
अन्य व्यय			
क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	2210682	2207003	40282563
ख) अन्य व्यय	5194361	1120131	172653
योग	**152135142**	**84861350**	**78410052**
जोड़ा : ह्रास	24156133	–	–
योग	**176291275**	**84861350**	**78410052**
घटाया : प्राप्तियाँ	18486744	1260660	2169647
कुल योग	**157804531**	**83600690**	**76240405**
विगत वर्ष	**135465344**	**67895065**	**62736747**

(अतिथि गृह सहित) पर व्यय

कार्यालय ज्ञापन सं. बी.पी.ई/1 (17) ए.डी.वी. (7)/69 द्वारा अपेक्षित है)

रियायती परिवहन सुविधा	सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ	अतिथि गृह	वर्ष 2010–11 के लिए	वर्ष 2009–10 के लिए
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
3089638	0	2055856	142868818	127058014
422234	0	250426	11321784	6780032
1111448	0	813837	18038543	1375470
0	0	0	76923622	69476800
4302203	927	63442	14344658	15704645
4235368	0	76123	17143228	13431754
0	0	4368608	49068856	41557687
1	0	32634	6519780	5460182
13160892	**927**	**7660926**	**336229289**	**280844584**
–	–	–	24156133	20730079
13160892	**927**	**7660926**	**360385422**	**301574663**
9299	0	403320	22329670	20441162
13151593	**927**	**7257606**	**338055752**	**281133501**
9321941	**286433**	**5427971**	**281133501**	

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

अनुसूची – 14

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :**

   वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा अन्य प्रयोज्य कानूनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है।

2. **अनुमानों का प्रयोग :**

   वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण में अनुमानों एवं धारणाओं के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है जो कि वित्तीय विवरण के दिन परिसम्पत्ति एवं दायित्वों को सूचित करता है तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चे को सूचित करता है। उस अवधि के वास्तविक परिणामों एवं अनुमानित परिणामों के अन्तर को जानने के बाद / कार्य पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है।

3. **स्थायी परिसम्पत्तियाँ :**

   क) कुल मूल्यह्रास को घटाकर सभी निश्चित परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखलाया गया है। परियोजनाओं के मामले में लागत पूर्व परिचालन के खर्चे भी शामिल है।

   ख) नयी खानों के निर्माण में हुए खर्चों को खान निर्माण की अवधि में निकले अयस्क से हुई आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

   ग) बीमाकृत कलपूर्जे जो केवल निश्चित परिसम्पत्तियों के मद के सिलसिले में प्रयोग किये जा सकते हैं तथा जिनका नियमित रूप से इसमें उपयोग नहीं होता है उन्हें संबंधित सम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है।

   घ) सिस्टम साफ्टवेयर को संबंधित परिसम्पत्ति के साथ पूँजी में परिणत किया जाता है। एप्लीकेशन साफ्टवेयर को जिस वर्ष इसका उपयोग हुआ उस वर्ष उसे राजस्व में दिखलाया गया है।

4. **पुँजीगत कार्य प्रगति पर :**

   पुँजीगत कार्य प्रगति पर में सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा निर्माण के खर्चे शामिल है तथा अचल परिसम्पत्तियों की लागत जिसे उसमें अभिप्रेरित उपयोग के लिए अभी भी तैयार नहीं है को निर्माण खर्चे में शामिल किया गया है।

5. **मूल्यह्रास :**

   क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची – 14 में निर्धारित दर के आधार पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति द्वारा लगाया जाता है। 01.04.1997 के पूर्व अधिग्रहित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति द्वारा परिसम्पत्तियों के 01.04.1997 के प्रारंभिक शुद्ध मूल्य पर, मूल्यह्रास की निर्धारित दर जो परिसम्पत्तियों की अवशेष आयु के आधार पर निकाली गई है, के आधार पर लगाया गया है जैसाकि कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची – 14 में दर्शाया गया है।

   ख) प्रभावित वर्ष की पूर्ण अवधि में परिसम्पत्तियाँ का समायोजन / निपटान मासिक यथानुपात के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित कर किया जाता है जिसमें अगले महीने की प्रथम तिथि को अधिग्रहण की तिथि तथा महीने की अन्तिम तिथि को उसके निपटान की तिथि माना गया है।

   ग) सम्पत्ति का विस्तार या योग जो वर्तमान परिसम्पत्तियों का अभिन्न अंग है उसे उसके उपयोग की शेष अवधि के लिए ह्रासित किया गया।

   घ) कुछ निश्चित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–14 में निर्धारित दर से अधिक लगाया गया है जिसका कारण उस सम्पत्ति के उपयोग की आयु तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कम आँका जाना है। जहाँ कहीं भी वर्तमान परिसम्पत्तियों की अनुमानित आयु को वास्तविक आयु से कम होने का अनुमान लगाया गया है वहाँ संशोधन किया जाता है एवं उसके शेष उपयोग की आयु पर मूल्यह्रास किया जाता है।

   ङ) i) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर तृतीय चरण टेलिंग्स पौण्ड (स्लाईम डैम) के उपयोग की आयु 10 वर्ष है।

      ii) टेलिंग डैम (स्लइम डैम) के दीवर के उपर तक उठने क कर्य वित्तीय वर्ष में पूर कर इसे पूँजीगत कर दिय है एवं तकनीकी मूल्यंकण के अधार पर इसके उपयोग आयु से ह्रासित किया गया।

   च) टेलिंग्स पौंड के निर्माण के लिए उपयोग की गई. निजी भूमि, सरकारी भूमि, वनभूमि का मूल्यह्रास उसकी उपयोगी आयु के आधार पर किया गया है।

   छ) सरकारी भूमि जिसे लीज होल्ड के अन्तर्गत दिखलाया गया है तथा जिसे अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है उसे लीज अवधि तक के लिए या सम्पत्ति के उपयोग की अवधि तक के लिए जो भी पहले होता है जिसके लिए भूमि का उपयोग किया गया है उसका मूल्यह्रास किया गया है।

   ज) **अमूर्त सम्पत्ति :** वन भूमि जिसे विभिन्न खानों एवं मिलों के लिए अधिग्रहित किया गया था उसका परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उसकी सम्भावित आयु के अनुमान पर किया गया है।

   झ) बीमाकृत कलपूर्जो को संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोग की आयु से उस दर पर ह्रासित किया जाता है जो उस सम्पत्ति के लिए प्रयोज्य है तथा मूल्यह्रास की राशि को सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से बीमाकृत कलपूर्जों की आयु तक के लिए अधिग्रहण के वर्ष में लगाया गया है।

   ञ) 5,000 रु. या उससे कम लागत वाली परिसम्पत्तियों को वर्ष के प्रारम्भ में ही पूर्णतः ह्रासित कर दिया जाता है।

6. **वस्तुओं का मूल्यांकन :**

क) **वस्तुओं का मान**

वस्तुओं को कम लागत एवं प्राप्ति योग्य मूल्य में जो भी कम हो पर लिया गया है।

ख) **लागत सूत्र**

i)	अयस्क एवं प्रगतिशील कार्य	:	लागत पद्धति अपनाने पर
ii)	प्रत्यक्ष सामग्री, भण्डार तथा कलपूर्जे	:	भारित औसत लागत मूल्य पर
iii)	मार्गस्थ एवं निरीक्षणाधीन माल	:	अधिग्रहित मूल्य पर
iv)	गौण–उत्पाद	:	परिवर्तित लागत पर
v)	स्क्रैप	:	अनुमानित मूल्य पर

ग) **खुले औजार**

खुले औजार को जारी करने के वर्ष ही बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

घ) **प्रयोज्य सम्पत्ति**

निश्चित परिसम्पत्तियों के मद जो उपयोग के बाद छोड़ दिये जाते हैं तथा जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है एवं जिन्हें निपटान के लिए रखा गया है उन्हें उनके शुद्ध लिखित मूल्य तथा प्राप्तियोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर दिखलाया जाता है।

ङ) **अयोग्य / अप्रचलित भण्डार**

पुँजीगत भण्डार एवं बीमाकृत कलपुर्जो के अतरिक्त ऐसे भण्डार व कलपुर्जे जिनका पिछले पाँच वर्षों में प्रयोग नहीं किया गया है, के लिये अयोग्य अप्रचालित भण्डार का प्रावधान किया गया है। अनउपयुक्त घोषित की गयी सामग्री को निपटान के लिये अलग रखा जाता है और उसके लिखित मूल्य को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। निपटान में प्राप्त हुए मूल्य को आय में जमा कर दिया जाता है।

7. **राजस्व की मान्यता :**

भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांन्द्र के अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति को राजस्व के रूप में मान्यता दी गयी है।

8. **केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय में सहायता :**

केन्द्र सरकार से पुँजीगत व्यय के लिये प्राप्त अनुदान जहां अधिग्रहित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास हो, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के रख–रखाव की लागत में समायोजित किया जाता है।

9. **अयस्क पिण्ड के विकास पर व्यय :**

वर्तमान कार्यरत खान में अयस्क पिण्ड को विकसित करने में हुए व्यय को उसी वर्ष जिसमें यह व्यय हुआ है, के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

10. **खान बंदी दायित्व :**

खान एवं खनिज (विकास व नियमन) कानून 1957 (एम.एम.डी.आर. 1957) के अनुसार खान बन्द करने व पर्यावरण के पुनरूद्धार के दायित्व को पूर्ण करने के लिये देयधन का, अयस्क भण्डार की उपलब्धता के आधार पर तकनीकी आकलन कर खान के वार्षिक खनिज उत्पादन के आधार पर लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

11. **ऑपेन कास्ट खान के विकास पर व्यय :**

ऑपेन कास्ट खान के विकास पर हुये व्यय को अयोग्य पत्थर की पर्त को हटाने एवं खान के चालू होने की तिथि तक खनन बेंचो की तैयारी में हुए व्यय को खान की पूर्ण आयु पर परिशोधित किया जाता है।

12. **सेवा निवृति के लाभ :**

क) भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ हानि खाता में उपार्जित आधार पर दिखलाया गया है।

ख) सेवा निवृति में अंशदान कम्पनी की नीतियों के आधार पर किया जाता है तथा इसे भारत के जीवन बीमा निगम में जमा कराया जाता है एवं लाभ हानि खाता में उसी वर्ष दिखलाया जाता है जिस वर्ष यह (प्रीमियम) बकाया पड़ता है।

ग) गैच्यूटि तथा छुट्टी के नगदीकरण के लाभ को उपार्जित मूल्यांकन के आधार पर उसी वर्ष लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

घ) स्वैच्छिक सेवा निवृति के खर्चों को उसी वर्ष राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष यह कर्मचारियों को अनुमोदित किया जाता है।

13. **विदेशी मुद्रा का लेन–देन :**

विदेशी मुद्रा का लेन–देन उसी तारीख की प्रभावी दर पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख को यह लेन–देन हुआ है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा का दायित्व तथा चालू परिसम्पत्तियों को प्रभावी दर से रूपांतरित / बदला जाता है। पूँजीगत सम्पत्ति के मामले में इसके अन्तर को निश्चित परिसम्पत्तियों / पूँजी डब्ल्यु आई पी से तथा चालू परिसम्पत्ति / दायित्व के मामले में लाभ–हानि खाते में रूपांतरित किया जाता है।

14. **चालू एवं आस्थगित कर के लिए प्रावधान :**

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ को विचारने के बाद वर्तमान के कर का प्रावधान किया जाता है। आस्थागित कर जो लिखित और कर योग्य लाभ के मध्य समय की भिन्नता (टाईमिंग डिस्टेंस) के फलस्वरूप कर की दरें तथा नियमों में प्रयोग के लिए किया जाता है जो आर्थिक चिट्ठा के दिन विधि अथवा पर्याप्त रूप से विधिवत् रूप में लिया जाता है। आस्थागित कर सम्पत्ति को मान्यता है तथा इसे उस अवस्था तक लिया जाता है जहाँ तक न्यायसंगत कारण है कि वह भविष्य में सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जायेगा।

15. **नगदी प्रवाह विवरण :**

नगदी प्रवाह का अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग कर जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना नगद लेन–देन के प्रभावों की गैर नगदी प्रवाह प्रकृति अथवा भविष्य एवं विगत की किसी आस्थागित एवं उपार्जित प्राप्ति अथवा भुगतान के प्रभावों को समायोजित किया जाता है। कम्पनी की नियमित राजस्व आमदनी, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों द्वारा प्राप्त नगदी प्रवाह को अलग दिखाया जाता है।

16. **अनुसंधान एवं विकास में व्यय :**

पूँजीगत मदों से संबंधित खर्चों को निश्चित परिसम्पत्तियों में डेबिट किया जाता है तथा प्रयोज्य दरों पर मूल्यह्रासित किया जाता है। राजस्व खर्चे जिस वर्ष हुए इन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

17. **पूर्व अवधि का समायोजन :**

विगत वर्ष से संबंधित 50,000 रुपये अधिक के आय/व्यय वाले मदों से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्व अवधि समायोजन के रूप मे दिखलाया जाता है।

18. **पूर्वदत्त व्यय :**

अवधि समाप्त होने के पूर्व 50,000 रुपये से ज्यादा की पूँजी से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखलाया जाता है।

19. **लेखा की उपार्जित पद्धति के अपवाद :**

कम्पनी निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिनका नगदी आधार पर लेखा में प्रयोग होता है, लेखा में उपार्जित व्यवस्था को अपनाती है।

क) ऐसे व्यय जिसके मूल्य का न्यायसंगत अंदाजा प्रावधान बनाने के लिये नहीं लगाया जा सकता।

ख) चिकित्सा, भण्डार, खेल, सामग्री, मुद्रण सामग्री, जलपान गृह तथा अतिथि गृह के लिए व्यय का प्रावधान इसके क्रय के समय ही कर लिया जाता है।

20. **सम्पत्तियों की क्षीणता :**

(क) सम्पत्तियों की लागत को प्रत्येक तुलनपत्र में विचारा जाता है, यह जानने के लिए कि क्या सम्पत्तियों में क्षीणता का कोई संकेत है। अगर कोई संकेत रहता है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होने योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। सम्पत्ति की क्षीणता को आंका जाता है कि क्या इसकी वसूली योग्य कीमत से इसकी दिखाई लागत अधिक है। संपत्ति की क्षीणता को मान्यता तब दी जाती है जब दिखायी जा रही राशि (Carrying Amount), वसूली योग्य राशि (Recoverable Amount) से अधिक है। प्राप्तियोग्य मूल्य, सम्पत्ति की बिक्री मूल्य तथा उपयोग किये मूल्य से ऊँचा होता है। उपयोग किये मूल्य का निर्धारण भविष्य के कैश फ्लो को नियोजित पूँजी से जिस भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र की दर के क्षतिपूर्ति के आधार पर कर दी जाती है, उसमें वर्तमान मूल्य को घटा दिया जाता है।

(ख) क्षीणता ज्ञात होने के बाद सम्पत्ति की संशोधित राशि पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो इसके उपयोगी आयु के ऊपर होता है।

(ग) पूर्व में निर्धारित मूल्यह्रास हानि की परिस्थियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हलांकि, इम्पेयरमेन्ट हानि को उस राशि से ज्यादा नहीं घटाया जा सकता है जो कि दिखाई गई राशि से ज्यादा हो जिसका निर्धारण (शुद्ध परिशोधित अथवा मूल्यह्रास) यह मानकर की पूर्व वर्ष में कोई इम्पेयरमेन्ट हानि नहीं निर्धारित की गई है के आधार पर किया गया हो।

21. **आकस्मिक दायित्व :**

इसे आर्थिक चिट्ठा के टिप्पणी द्वारा उल्लिखित किया गया है। इसे लेखा में उन आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधित किया जाता है जिसे वर्ष के अंत में लेखा की समाप्ति पर दायित्व में परिवर्तित किया जायेगा एवं आर्थिक चिट्ठा में जिसका प्रभाव दिखलाया जायेगा।

22. **प्रावधान :**

पूर्व घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान दायित्वों के लिये प्रावधान की मान्यता है और ऐसे दायित्व के भुगतान के लिये सम्भवतः संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी बशर्ते इनका विश्वसनीय आंकलन सम्भव हो। प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य में नहीं लिया गया है। इसे प्रबंधन के अनुमान पर निश्चित किया गया है जिससे कि दायित्वों का तुलन पत्र की तिथि पर निस्पति किया जा सके। इसकी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में समीक्षा की गई है एवं इसे प्रबंधन के वर्तमान अनुमान में प्रतिबिम्बित किया गया है।

लेखे पर टिप्पणियाँ

अनुसूची – 15

1. (क) कम्पनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69–मिन. दिनांक 07 अगस्त 1973 तथा संख्या 7/6/69–मिन (पी.एस.यू.) दिनांक 3 जुलाई, 1974 की शर्तों की अनुपालन में परंमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 के 33) की धारा 18 के अन्तर्गत अपने उत्पादन तथा अन्य प्रभार, गौण उत्पादो सहित माल के प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक, क्रय किये गये या अधिग्रहण किये गये कच्चे माल अनुज्ञप्ति एवं स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 3 (i), 3 (ii) (1), 3 (ii) (2) एवं 4 – सी भाग – ii की अनुसूची – 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित करने या उपलब्ध करने से निषिद्ध कर दिया गया है। इसी के अनुसार यह सूचना एवं जिसमें कच्चे माल, स्टॉक या कोई संबंधित खर्चे एवं यूरेनियम सांद्र का अनिवार्य अधिग्रहण और गौण उत्पाद आदि सांविधिक लेखा परीक्षक जो कि कम्पनी एक्ट–1956 की धारा–619(2) के अंतर्गत नियुक्त किए जाते थे को वर्ष 2002–03 तक नहीं दिए जाते थे।

   (ख) तथापि इन सूचनाओं को वर्ष 2003–04 से सरकारी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है जो कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 619 (2) के अनुसार उनके उच्च स्तर के उच्च परीक्षकों को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8(12)/2004 – सरकारी उपक्रम पी.एस.यू./448, दिनांक 9 जुलाई 2004 के तहत कम्पनी का महत्वपूर्ण अंकेक्षण को देखने एवं इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति, जिसमें इन सूचनाओं को अन्य एजेसियों को नहीं दिये जाने का गोपनीय करार भी है, दिया जाता है।

2. (क) कम्पनी ने नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ (गत वर्ष 1128.32 एकड़), तुमलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 2009.13 एकड़) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष 557.18 एकड़) भूमि, बांदुहुरांग में 686.86 एकड़ भूमि (गत वर्ष 686.86 एकड़) एवं बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष 303.14 एकड़) भूमि का खनन पट्टा प्राप्त कर लिया है। कम्पनी भाटिन सहित जादुगोड़ा के लिए 1312.62 एकड़ (गत वर्ष 1312.62 एकड़) भूमि के खनन पट्टा के नवीनीकरण, महुलडीह के लिए 288.20 एकड़ (गत वर्ष 288.20) भूमि, तुरामडीह के लिए 31.77 एकड़ अतिरिक्त भूमि, के.पी.एम. के लिए 290.45 हेक्टेयर (गत वर्ष 290.45 हेक्टेयर) एवं लाम्बापुर के लिए 1301.38 एकड़ (गत वर्ष 1301.38 एकड़) भूमि एवं गोगी के लिए 39.13 एकड़ (गत वर्ष शून्य) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पत्राचार कर रही है।

   (ख) कम्पनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है। जिससे संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी कीमत 1517.59 लाख रुपया (गत वर्ष 1517.59 लाख रुपया) है, जिसे कम्पनी की अचल परिसम्पति में "लीज की भूमि" तथा "स्वतंत्र भूमि" शीर्ष में सम्मिलित किया गया है।

   (ग) मुसाबनी में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई 3 एकड़ भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है। इसके प्रयोग से संबंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है।

3. वर्ष के दौरान मेघालय, मावथाबा में केंलेंग पेंडेंग सोहियोंग खनन एवं प्रसंस्करण (मिलिंग) परियोजना के कार्यान्वयन एवं आधारभूत संरचना विकास हेतु भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 40.00 करोड़ रुपया (गत वर्ष 20.00 करोड़) प्राप्त हुआ कुल 40.00 करोड़ की प्राप्त राशि में से 31.03.2011 तक रुपये 18,57,42,455 (गत वर्ष 17,92,22,718) करोड़ रुपये खर्च हो चुका है।

4. **आकस्मिक दायित्व तथा स्वीकारोक्ति** (लाख रुपया में)

		31.03.2011	31.03.2010
(क)	कम्पनी के विरुद्ध दावे जिसे कम्पनी ने कर्ज के रूप में नहीं स्वीकारा है		
	न्यायालय में विचाराधीन	**75,59.82**	6,261.38
(ख)	साख–पत्र जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई	**2,077.51**	68.42
(ग)	उन ठेकों का अनुमानित मूल्य जिसे पूँजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना बाकी है। तथा जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (शुद्ध आग्रिम)	**19,999.06**	**1,978.88**

5. वर्ष के दौरान झारखंड सरकार के द्वारा की गई विवादित रॉयाल्टी मांग जो विभिन्न न्यायलयों में निर्णयाधनी है के विरूद्ध विरोध सहित रॉयल्टी के रूप में मैग्नेटाइट के लिए 1,65,63,062.11 तथा लघु खनिज के लिए ब्याज सहित 1,26,31,784,00 रुपये जिला खनन कार्यालय में वर्ष 2007–08 के लिए जमा किया गया। इन लम्बित मामलों के न्यायलय द्वारा अंतिम निर्णय होने तक मैग्नेटाइट के लिए जमा की गई रॉयल्टी एवं ब्याज को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है एवं लघु खनिज के राजस्व को सम्पती के साथ पूँजीगत किया गया है उसके लिए इसका उपयोग किया गया था।

6. विभिन्न न्यायालयों में कुछ मामले लम्बित पड़े हुए हैं, जिसके लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आकस्मिक दायित्वों में इसे नहीं दिखलाया गया है, क्योंकि इस समय इसका सही आंकलन नहीं लगाया जा सका।

7. लेनदारों, देनदारों एवं अग्रिमों का शेष, सम्बंधित पक्षों के पुष्टिकरण पर निर्भर है एवं समाधान प्रक्रियाधीन है।

8. (क) वर्ष 1996 में कम्पनी ने बन्द तुरामडीह परियोजना की सम्पत्ति को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) को 2322 लाख रुपये में हस्तान्तरित कर दिया था। तुरामडीह खान को पुनः खोलने के लिए सी.आर.पी.एफ. से सम्पत्ति वापस ली गई है जिसके लिए सी.आर.पी.एफ. ने 3467 लाख रुपये का दावा किया है जिसमें 2500 लाख रुपया पहले ही चुकाया जा चुका है। अवशेष राशि 967 लाख रुपया के लिए लेखा में प्रावधान किया गया है।

(ख) कम्पनी बंद तुरामडीह परियोजना की भूमि एवं अन्य सम्पत्तियों का उपयोग कर रही है जिसकी कीमत 1110.60 लाख रुपये (विगत वर्ष 1110.60 लाख) है जो भारत सरकार की है। इसके लिए लेखा में 1110.60 लाख रुपये का (विगत वर्ष 1110.60 लाख का) प्रावधान किया गया है जो भारत सरकार द्वारा बताया गया मूल्य है। कम्पनी भारत सरकार के नाम अंशपूँजी जारी करेगी जो भारत सरकार के पत्र संख्या – 20/12 (1)/95–पीएसयू/180, दिनांक 18 जून 2003 के अनुसार है।

9. कम्पनी ने गत वर्ष एवं चालू वर्ष में प्राप्त हुए 177.08 करोड़ रुपये शेयर जारी किया है भारत सरकार ने पुनः वर्ष 2010–11 के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए 9.11 करोड़ रूपये की अंश राशि प्रदान की है। जिसे "आवंटन हेतु लम्बित शेयर पूंजी" के अन्तर्गत दिखाया गया है।

10. (क) कम्पनी ने कैंश जेनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के लिए प्राप्तियोग्य मूल्य का अनुमान लगाया है जो प्रयोग विधि के मूल्य पर आधारित है। प्रत्येक प्रयोग किये सीजीयू के मूल्य को निकाला गया है जो सम्पत्ति के लिखित मूल्य से बहुत ऊँचा है। अतः इमपायरमेंट क्षति के अनुरुप कोई प्रावधान नहीं करना है। (संदर्भ संख्या 20 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ)

(ख) सीजीयू में जादुगोड़ा खान, नरवापहाड़ खान, भाटिन खान, तुरामडीह खान, बागजाता खान तथा बांदुहुरांग खान शामिल है।

11. (क) 31.3.2011 को कम्पनी के स्वामित्व में रखी हुई बन्द तुरामडीह परियोजना के स्टोर्स का मूल्य 172.12 लाख रुपये (विगत वर्ष 174.25 लाख रुपये) को लेखा में नहीं लिया गया है कारण यह भारत सरकार की राशि है। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार इस भण्डार की बिक्री की राशि को सरकारी खाते में जमा की जाएगी।

(ख) कम्पनी ने पूर्व के वर्षों में 174.25 (विगत वर्ष 174.40 लाख) लाख रुपये के प्रारम्भिक स्टॉक से 2.13 लाख (विगत वर्ष 0.15 लाख) लाख रूपये की सम्पत्ति उपयोग में लाई है जिसके लिए उस सीमा तक के लेखा में दायित्व का प्रावधान भारत सरकार के खाते में किया गया है।

12. 01.03.2007 के पूर्व बांदुहुरांग खान में कम्पनी के ठेकेदार पर 1252.49 लाख रूपये के अर्थदंड सहित सेवा कर के दावे का अतिरिक्त भार एवं आनुषंगिक अयस्क को हटाने हेतु कस्टम एक्साइज एवं सेवा कर आदि अपीलेट न्यायाधिकरण में विचाराधीन है। कार्य आदेश के अनुसार नया कर/करों का वैधानिक अन्तर/शुल्क आदि कम्पनी के द्वारा ठेकेदार को देय है। न्यायाधिकर में विचाराधीन होने के कारण खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है/ न आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।

13. निर्माण अवधि में आकस्मिक खर्चे :–

	2010–11 (लाख रुपये में)	2009–10 (लाख रुपये में)
(क) तुरामडीह मिल परियोजना	**15.79**	0.00
(ख) तुरामडीह खान परियोजना	**40.35**	0.00
(ग) माहुलडीह खान परियोजना	**128.71**	92.36
(घ) तुमलापल्ली परियोजना	**2749.59**	719.22

14.	आस्थगित कर दायित्व में निम्नलिखित शामिल है : आस्थगित कर दायित्व	31.03.2011 को (लाख रुपये में)	31.03.2010 को (लाख रुपये में)
	मूल्यह्रास भिन्नता	**7721.98**	8036.92
	घटाया : आस्थगित कर सम्पत्ति		
	(क) अप्रचलित भण्डार के लिए प्रावधान	**66.62**	61.63
	(ख) वेतन की छुट्टी के लिए प्रावधान	**106.23**	133.77
	(ग) स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति	**24.62**	50.84
	(घ) लाभ–हानि खाता में प्रभारित पूर्वदत्त व्यय	**1.85**	2.02
	कुल (क से घ)	**199.33**	248.26
	शुद्ध अस्थगित कर दायित्व	**7522.65**	7788.66
	प्रारम्भिक दायित्व	**7788.66**	6856.61
	अंतिम दायित्व	**7522.65**	7788.66

15. कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग–2 अनुसूची VI के अनुच्छेद 3, 4 तथा 4 (डी) के अनुसार अतिरिक्त सूचनाएँ–

		2010–2011	2009–2010
(क)	**निदेशकों का पारिश्रमिक** (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)	रुपये	रुपये
	1. वेतन	39,04,992	56,66,497
	2. भविष्य निधि, उपदान तथा कर्मचारी कल्याण निधि में नियोक्ता का अंशदान	4,61,834	6,35,165
	3. छुट्टी का नकद भुगतान एवं अन्य	6,13,180	7,60,117
	योग (क)	49,80,015	70,61,779
(ख)	सी.आई.एफ. के आधार पर आयात की गई सामग्रियों का मूल्य		
	i) संघटक एवं कलपूर्जे	1,57,38,482	3,70,65,473
	ii) पूँजीगत माल	2,09,50,338	3,82,48,480
	योग (ख)	3,66,88,820	7,53,13,953
(ग)	विदेशी मुद्रा में व्यय (उपार्जन के आधार पर)		
	i) पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ	81,794	86,166
	ii) विदेश यात्रा	2,62,575	16,46,172
	योग (ग)	3,44,369	17,32,338

(घ) वर्ष भर में आयातीत/स्वदेशी सामग्रियों, कलपूर्जे एवं उपभुक्त संघटकों का कुल मूल्य :–

		2010–2011	प्रतिशत	2009–2010	प्रतिशत
		रुपये		रुपये	
1.	आयातीत	**2,23,34,295**	**01.40**	2,19,20,766	01.82
2.	स्वदेशी	**1,57,77,68,231**	**98.60**	1,18,44,81,811	98.18
	योग	**1,60,01,02,526**	**100.00**	1,20,64,02,577	100.00

16.	**प्रति शेयर लाभ**	**20010—11**	**2009—10**
	कर पश्चात् लाभ (रुपया में)	**1,01,52,55,720**	**46,25,84,199**
	इकाई शेयर का भारित औसत संख्या	**1,37,29,878**	**1,13,64,028**
	जोड़ा : इकाई शेयर का संभाव्य संख्या	**2,89,392**	—
	इकाई शेयर का तनुकृत संख्या	**1,40,19,270**	**1,13,64,028**
	इकाई शेयर का अंकित मूल्य (रुपया में)	**1,000**	**1,000**
	प्रति शेयर प्रारम्भिक आय (रुपया में)	**73.94**	**40.71**
	प्रति शेयर तनुकृत आय (रुपया में)	**72.42**	**40.71**

17. माइक्रो, स्माल एवं मिडियम डेवलपमेंट अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 31.03.2011 के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायियों के पास प्रत्येक मामले में कुछ रुपये ब्याज सहित 30 दिनों से अधिक बकाया रहा :

विवरण	**चालू वर्ष 2010—11**	विगत वर्ष 2009—10
31 मार्च को बकाया मूल राशि	**35,52,227**	60,91,624
31 मार्च को उस पर देय और अदेय राशि	**3,87,137**	3,41,432
आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया व्याज	**3,41,432**	1,75,912
वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता को निधिरिर्त तिथि के बाद किया गया भुगतान	**2,83,04,438**	1,75,24,952
विलम्ब अवधि के लिए भुगतान किया गया व्याज	**3,87,137**	3,41,432
31 मार्च को उपस्थित व्याज एवं शेष अदत्त राशि	**3,87,137**	3,41,432
अतिरिक्त व्याज की बकाया देय राशि एवं अनुवर्ती वर्ष में भुगतान की जाने वाली राशि	**3,87,137**	3,41,432

18. **सम्बंधित पक्षो का विवरण**

विवरण	मुख्य प्रबंधक कार्मिक	कुल पारिश्रमिक (रु.)	
		2010–11	2009–10
प्राप्त की जा रही सेवायें	1. श्री आर. गुप्ता (सी.एम.डी)	**16,77,052**	29,85,088
	2. श्री डी. आचार्या डी. (टी.)	**16,55,432**	22,92,399
	3. श्री आर. पी. गुप्ता डी. (एफ.)	**16,47,531**	17,84,372

22. आंकड़ों में 50 पैसे से अधिक को रुपये में ले लिया गया है। गत वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी जरुरी समझा गया उसे चालू वर्ष में तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार हस्ताक्षरित है

अनुसूची '1' से '15' के हस्ताक्षरी

एस. गागुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 302192ई

कृते बोर्ड की ओर से

डी. पी. साहा
भागीदार
सदस्यता संख्या : 003935

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 28 जून 2011

31.03.2011 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

(लाख रुपयों में)

		2010–11	2009–010
(क)	**परिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	कर के पूर्व शुद्ध लाभ	16,056.56	7,784.78
	समायोजन के लिए		
	मूल्यह्रास	8,289.17	6,928.68
	ऋण एवं पेशगी पर ब्याज	(90.18)	(84.64)
	बैंक जमा पर ब्याज	(1,889.23)	(2,006.97)
	कार्यकारी पूँजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	22,366.32	12,621.85
	समायोजन के लिए		
	(क) देनदारों को (वृद्धि)/ह्रास	(305.54)	1,037.54
	(ख) मालसूची में (वृद्धि)/ह्रास	(1,761.56)	624.42
	(ग) ऋण एवं पेशगियों में (वृद्धि)/ह्रास	(64.45)	(315.83)
	(घ) उपार्जित ब्याज में (वृद्धि) ह्रास	(101.03)	(186.54)
	(ङ) चालू दायित्व में (वृद्धि)/ह्रास	729.15	2,428.39
	परिचालन की क्रियाओं में नकद उपार्जन	20,862.89	16,209.83
	प्रत्यक्ष कर	(5,140.72)	(1,966.43)
	परिचालन की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	15,722.17	14,243.40
(ख)	**निवेश की क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	(क) निश्चित परिसम्पत्तियों की खरीद	(3,232.94)	(6,048.32)
	(ख) डब्ल्यु आई पी के पूँजी में (वृद्धि)/ह्रास	(35,914.64)	(4,188.69)
	(ग) बैंक जमा पर ब्याज	2,370.33	3,256.85
	(घ) ऋण एवं पेशगियों पर ब्याज	1,889.23	2,006.97
	(ङ) स्थिर परिसम्पतियों के बिक्री से प्राप्तियाँ	90.18	84.64
	विनियोग की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लों	(34,797.84)	(41,880.55)
(ग)	**वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो**		
	इक्विटी शेयर पूँजी से लाया गया	9,169.00	27,028.00
	प्रतिभूति ऋण में/वृद्धि (ह्रास)	11,201.36	0.00
	लाभांश चुकाया	(1,160.00)	(470.00)
	वित्तीय क्रियाओं में शुद्ध नकदी का उपयोग	19,210.36	26,558.00
(घ)	**नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)**	134.69	(1,079.15)
	वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी के सामान	25,377.65	26,456.80
	वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदी के सामान	25,512.34	25,377.65
(ङ)	**नकद एवं नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि**	134.69	(1,079.15)

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के प्रतिवेदन के अनुसार हस्ताक्षरित है

कृते एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 302192ई

कृते एवं बोर्ड की तरफ से

डी. पी. साहा
भागीदारी
सदस्यता संख्या : 003935

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

डी. आचार्या
निदेशक (तकनीकी)

आर. गुप्ता
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 28 जून, 2011

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IV अनुसूची VI के अनुसार सूचनाएँ।)

तुलन पत्र सारांश एवं कम्पनी के सामान्य व्यापार की रुपरेखा

(i) **पंजीकरण विवरणः**

पंजीकरण संख्या : 000806 स्टेट कोडः 03

तुलन पत्र की तिथि : 31 मार्च, 2011

(ii) वर्ष के दौरान पूँजी में वृद्धि (राशि, हजार रुपयों में)

सार्वजनिक निर्गम	**राइट इश्यू**	**सरकारी निर्गम**
शून्य	शून्य	17,70,800
बोनस निर्गम	**निजी स्थापना**	
शून्य	शून्य	

(iii) निधि के संचारण एवं विस्तार की स्थिति (राशि हजार रुपये में)

कुल देयताएँ	कुल परिसम्पत्तियाँ
2,32,84,843	2,32,84,843
निधि के स्रोत	
प्रदत्त पूँजी	आरक्षित एवं अधिशेष
1,43,05,078	24,14,631
प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत
12,19,262	शून्य
आस्थगित कर दायित्व	
7,52,265	
निधि का विनियोग	
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ (सी.डब्ल्यू.आई.पी.सहित)	निवेश
1,77,98,159	शून्य
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ	विविध व्यय
2,41,623	शून्य
संचित हानियाँ	
शून्य	

(iv) कम्पनी के कार्यकलाप

कुल व्यवसाय (राजस्व)	कुल व्यय
76,02,511	59,96,855
कर पूर्व लाभ/हानि	कर पश्चात् लाभ/हानि
(+) 16,05,656	(+) 10,15,256
प्रतिशेयर अर्जन रुपयों में	लाभांश दर :
73.94	1.78

(v) मुख्य उत्पाद का सामान्य नाम/कम्पनी की सेवाएँ (वित्तीय शर्तों के अनुसार) वर्गीकृत विवरण

कृते एस. गांगुली एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 302192ई

कृते एवं बोर्ड की तरफ से

डी. पी. साहा	**बी. सी. गुप्ता**	**आर. पी. गुप्ता**	**डी. आचार्या**	**आर. गुप्ता**
भागीदारी	कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या : 003935				

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 28 जून 2011

पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार–संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन/मजदुरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास (नगद क्षेत्र पर ह्रास को छोड़कर)	व्याज	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1985–86	1695.6	354.4	488.5	83.9	–	635.2	123.5
1986–87	2047.2	412.3	572.4	126.4	6.3	645.4	214.4
1987–88	2813.8	347.7	664.3	171.6	12.8	839.9	751.5
1988–89	3358.2	449.9	750.2	174.6	4.2	1104.8	892.3
1989–90	3882.2	465.9	1026.4	157.7	0.4	1142.5	1092.4
1990–91	3080.6	398.0	938.5	197.9	–	1237.2	323.5
1991–92	3929.3	518.8	1167.1	214.4	–	1455.0	571.8
1992–93	4249.2	659.3	1369.8	217.9	2.1	1624.1	376.5
1993–94	4775.7	788.3	1415.5	291.7	0.7	1970.5	309.0
1994–95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	18.6	2396.1	349.1
1995–96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	10.2	2187.7	31.1
1996–97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	0.1	3693.6	(-) 676.0
1997–98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	–	5019.9	516.7
1998–99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	–	6495.0	177.5
1999–00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	–	5361.4	1307.9
2000–01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.9	–	6167.4	405.2
2001–02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	–	6399.3	872.0
2002–03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	–	7500.0	2772.4
2003–04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	–	9389.7	1925.7
2004–05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	–	9896.72	4621.6
2005–06	28156	3121	7309	2468	–	10332	4926
2006–07	29781	4138	8817	2592	–	9856	4378
2007–08	30436	4786	9929	2518	–	11061	2142
2008–09	41462	6143	12728	2755	–	13832	6004
2009–10	54306	7494	14539	6661	–	17827	7785
2010–11	76025	10072	19815	8245	–	21836	16057

(रूपये लाख में)

कर पश्चात लाभ	पूँजी	ऋण	आरक्षित तथा अधिशेष	सकल निरूद्ध पूँजी	कुल मूल्य ह्रास	शुद्ध निरूद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
72.5	1714.3	79.0	403.9	2250.9	1283.4	967.5	2905
159.4	2239.3	193.0	633.2	2726.3	1444.8	1281.5	3115
471.5	2439.2	94.0	1104.2	3030.3	1661.3	1369.9	3180
552.3	2575.3	–	1557.2	3300.3	1841.8	1458.5	3392
657.4	5589.3	–	2314.8	3701.3	2035.2	1666.1	3477
143.5	6989.3	–	2458.3	4029.4	2289.8	1739.6	3629
245.8	12417.2	–	2654.4	4933.5	2590.3	2343.2	3748
146.2	17017.3	–	2802.0	5262.4	2824.3	2438.1	3898
104.4	22517.3	–	2906.5	9085.1	3574.4	5510.7	3904
801.9	30517.3	–	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
78.6	5422.3	–	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-) 854.0	36922.3	–	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	–	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	–	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1151.1	41982.3	–	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	–	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	64.4	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	–	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
978.7	49839.3	–	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	–	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	–	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	–	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	–	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	–	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	–	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	–	24146	126383	49131	77251	4696